कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 62 अंक : 06 पृष्ठ : 52 अप्रैल 2016 मूल्यः ₹ 22

बजट 2016–17

सशक्त भारत की ओर

केंद्रीय बजट 2016–17 एक नजर में

- अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2015–16 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए 87,765 करोड़ रुपये का आवंटन; कृषि तथा किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये।
- ग्राम पंचायतों और नगर निकायों हेतु 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। एक नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्रस्ताव।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,51,581 करोड़ रुपये का आवंटन।
- अगले तीन वर्षों में ग्रामीण भारत के 6 करोड़ और परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाने हेतु डिजिटल साक्षरता मिशन।
- बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आरंभिक व्यय के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत 2016–17 में 3000 दुकानें खोली जाएंगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पीपीपी आधार पर 'राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम' आरंभ किया जाएगा।
- नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, बुजुर्गों के लिए तीस हजार रुपये का अतिरिक्त कवर।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर; 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
- एक हजार करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी की स्थापना होगी।
- कौशल विकास हेतु 1804 करोड़ रुपये का आवंटन; 1500 बहु–कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी; उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- बुनियादी ढांचा हेतु कुल 2,21,246 करोड़ रुपये; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र में 2016–17 में कुल 97,000 करोड़ रुपये का निवेश। लगभग 10,000 किमी. लंबी सड़कों को मंजूरी दी जाएगी।
- दालों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष।
- 'स्टैंडअप इंडिया योजना' के तहत प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं की सहायता की जाएगी। इससे कम से कम ढाई लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बांटी जाने वाली राशि का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये किया गया।
- नमामि गंगे परियोजना हेतु 2250 करोड़ रुपये।
- अप्रैल 2016, से मार्च 2019 के बीच आरंभ होने वाले स्टार्टअप्स को पहले तीन वर्ष के लिए लाभ पर 100 प्रतिशत कर छूट।
- देश को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जोड़ने के लिए *'एक भारत श्रेष्ठ भारत'* कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान–प्रदान के माध्यम से लोगों को जोड़ना है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 62★ मासिक अंक : 06★ पृष्ठ : 52 ★चैत्र–बैशाख 1937★अप्रैल 2016

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल

संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय सहयोग
मेहर सिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना

सज्जा
आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

एजेंडा देश के कायाकल्प का — भुवन भास्कर — 5

ग्रामीण विकास को समर्पित बजट — रमेश सिंह — 9

कृषि अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के ठोस उपाय — जगन्नाथ कश्यप — 14

किसान हित के लिए प्रतिबद्ध बजट — डॉ. अनीता मोदी — 18

पंचायतों के समक्ष 'सपनों का गांव' बनाने की चुनौती — अरुण तिवारी — 21

जरूरी है समष्टिगत स्वास्थ्य बीमा योजना — आशुतोष कुमार सिंह — 25

साकार होगा डिजिटल इंडिया का सपना — आलोक कुमार — 28

युवाओं के लिए उम्मीदों का बजट — सुरभि गौड़ — 32

बेरोजगारी से लड़ने के लिए कौशल विकास पर ज़ोर — डॉ. विष्णु राजगढ़िया — 34

सुशासन की दिशा में गंभीर प्रयास — सिद्धार्थ झा — 38

विकास और पर्यावरणीय हितों के उचित तालमेल का बजट — प्रभांशु ओझा — 42

भारतीय रेल को आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का विज़न — नीलेश कुमार तिवारी — 45

महिला उद्यमियों की राह आसान बनाने की कोशिश — पूजा मेहरोत्रा — 48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

नौ स्तंभो पर टिके नए और सशक्त भारत का स्वप्न लिए केन्द्रीय बजट 2016–17 का रास्ता गांवों और खेत–खलिहानों से होकर गुजरता है। इस बार के बजट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पात्रों को स्वावलंबी बनाने का स्पष्ट लक्ष्य और सुविचारित रणनीति बजट में है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना है और उसे मजबूती देने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। कृषि क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन में काफी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही, किसानों के हित में और पैसा जुटाने के लिए सेवाकर में भी 0.5 फीसदी कृषि सेस लगाया गया है।

दूरगामी सोच का परिचय देते हुए ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के ठोस और व्यापक उपाय किए गए हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से मजबूती देने में सहायक होंगे। बजट सीधे तौर पर गांवों और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। और यह संदेश दे रहा है कि भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती हैं जब देश की विशाल आबादी जिस कृषि पर निर्भर है, उस पर आधारित आर्थिक तंत्र अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पांच साल के अंदर किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने ठोस उपाय किए हैं। डेयरी उद्योग को सशक्त करने की दिशा में उठाए गए कदम और नई पशु योजनाएं भी किसानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रति इकाई उपज बढ़ाने, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के अलावा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को भी बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे।

देश में कृषि की स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई के अधीन क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने के लिए उन्हें फास्ट ट्रैक पर डाला जाएगा। नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि की स्थापना की भी घोषणा की गई है। साथ ही, कृषि उन्नति के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मार्च 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, मनरेगा के तहत जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गडढों का निर्माण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी बजट आवंटन कई गुना बढ़ाया गया है।

सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विपणन को सुधारना चाहती है। इसी के मद्देनजर 14 अप्रैल, 2016 से राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना की शुरुआत की जा रही है। युवा उद्यमी अर्थव्यवस्था और देश की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने इस बात को भी बखूबी समझा है और इस दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं। यह बजट युवा भारत को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उद्यमियों को सशक्त करने से न केवल कुछ नया करने की देश की क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे रोजगार सृजन भी होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले तीन साल में एक करोड़ से अधिक युवाओं की कार्यकुशलता में सुधार के मद में निवेश पर जोर दिया गया है। इसके जरिए यह भी कोशिश की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों की पूंजी तक पहुंच के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर की जा सकें। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत साक्षरता अभियान से युवा और बेहतर तरीके से सशक्त एवं सक्षम होंगे।

'स्टार्टअप इंडिया' योजना को टैक्स लाभ और एक दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन योजना के जरिए मजबूती प्रदान की गई है। शुरुआती तीन वर्षों तक 'स्टार्टअप' को टैक्स में सौ फीसदी छूट देने का कदम भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यही नहीं 'स्टार्टअप' पहल के तहत अनु.जाति/जनजाति, महिला उद्यमी और अल्पसंख्यकों को भी मदद देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। और इन वर्गों के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसे 'मुद्रा योजना का विस्तार' भी कहा जा सकता है। मुद्रा योजना के तहत अनु.जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण मुहैया कराने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

सामाजिक उत्थान की दृष्टि से ढाई लाख उद्यमियों को अपने पैरो पर खड़ा करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उनको इकाई लगाने में मदद करेगी और उनके उत्पाद भी खरीदेगी। लघु उद्योगों की कर मुक्त आय एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये तक भी राहत कर दी गई है। इसी तरह, बुनियादी ढांचे के लिए दो लाख 21,246 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जोकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में बेहद मददगार साबित होंगे।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गांवों को स्मार्ट और समृद्ध बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को सहायता अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नाम से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए बजट में 655 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गांवों में हर घर में शौचालय बनाने के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है।

देश को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आपस में जोड़ने के लिए बजट में केंद्र सरकार 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' नाम से कार्यक्रम लेकर आई है। इस योजना का मकसद भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान–प्रदान के जरिए लोगों को जोड़ना है। देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विविधता को सशक्त अभिव्यक्ति देने में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संक्षेप में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा करने के हर पहलू का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बजट न केवल देश की अर्थव्यवस्था में एक नई गति लाएगा बल्कि देश के किसानों, कमजोर तबकों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनका जीवन–स्तर ऊंचा उठाने में भी बेहद मददगार साबित होगा। यही नहीं, युवाओं के सपनों को भी ऊंची उड़ान देगा।

एजेंडा देश के कायाकल्प का

—भुवन भास्कर

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय बजट 2016-17 पेश करते हुए जो सबसे अहम बात कही, वह थी अगले साल के लिए सरकार की ओर से एक एजेंडा तय किया जाना और यह एजेंडा है पूरे देश के कायाकल्प का। जाहिर है देश के कायाकल्प का एजेंडा तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक इसकी 70 फीसदी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव न लाया जा सके। यानी दूसरे शब्दों में 'भारत में बदलाव' का रास्ता अनिवार्य तौर पर 'गांवों के बदलाव' से होकर ही जाता है। सरकार ने इसे बखूबी समझते हुए अपने एजेंडा को पूरी तरह ग्रामीण भारत पर केंद्रित रखा है। निश्चित तौर पर सरकार ने अरसे बाद एक ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर सचमुच भारत को बदलने की क्षमता है। लेकिन हमेशा की तरह सरकार के सामने क्रियान्वयन की चुनौती बरकरार है।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 फरवरी,2016 को वर्तमान सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। देश के 'कायाकल्प' का एजेंडा लेकर चले इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव पर विशेष जोर दिया गया हैं। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि भारत के बदलाव का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। इसी के मद्देनजर भारत के कायाकल्प के अपने एजेंडा में ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। अपने एजेंडा में सरकार ने जिन नौ स्तंभों का जिक्र किया उनमें शुरुआती दो स्तंभ तो पूरी तरह ग्रामीण भारत पर केंद्रित हैं और उसके बाद के जो तीन स्तंभ हैं उनकी मजबूती भी गांवों की सफलता पर ही निर्भर करती है। इनके अलावा चार स्तंभ ऐसे हैं जो वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनमें बैंकिंग, टैक्स, कारोबार

करने की सरलता और सरकारी खर्चों को नियंत्रित रखने से संबंधित सुधार शामिल हैं। गांवों में बदलाव के लिए सरकार ने जिन प्रमुख क्षेत्रों का चुनाव किया है उनमें रोजगार, बुनियादी ढांचा, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सबसे प्रमुख हैं। लेकिन इन सबके साथ सबसे बड़ी घोषणा 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने की है। जाहिर है कि सरकार का देश के कायाकल्प का एजेंडा बहुत हद तक गांवों का जीवन–स्तर ऊंचा उठाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव दिलाने पर टिका है। अगले वित्तवर्ष के पूरे बजट की रचना इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर की गई है।

ग्रामीण भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है और इसलिए किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए सरकार ने बजट में कृषि क्षेत्र की बुवाई, सिंचाई और बिक्री, सब स्तरों पर मदद देने की पूरी कोशिश की है। बुवाई के पहले सॉयल हेल्थ टेस्ट के जरिए मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने, फिर फसल के दौरान सिंचाई की बेहतर व्यवस्था कर खेतों तक ज्यादा पानी पहुंचाने और फसल के खेतों से बाहर निकलने के बाद उन्हें सही बाजार उपलब्ध कराने तक बजट में सरकार ने हर स्तर पर व्यवस्था में जबर्दस्त सुधार का संकल्प व्यक्त किया है।

सॉयल हेल्थ टेस्ट के लिए सरकार ने अपना बजट साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ाते हुए 368 करोड़ रुपये कर दिया है और मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बजट में रुकी पड़ी 89 सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे 80 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक इसमें से 23 परियोजनाओं को चालू करने का लक्ष्य रखा है। और आखिरी चरण में तैयार फसल को एक प्रतिस्पर्धी बाजार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत 14 अप्रैल, 2016 से लगभग 585 मंडियां एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। इनके अलावा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के लिए भी बजट में 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिहाज से ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) को मुख्य जरिया बनाते हुए इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अगर साल भर में यह पूरी रकम खर्च की जा सके, तो यह मनरेगा के लिए आवंटित की गई अब तक की सबसे ज्यादा सालाना राशि होगी। वैसे तो मनरेगा पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल रही है, लेकिन वर्तमान सरकार ने "ट्रांसफॉर्म इंडिया" एजेंडे के तहत इसमें एक मूलभूत बदलाव किया है। अब तक मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पैदा किए जाते थे, उनमें से ज्यादातर ऐसे होते थे जिनसे किसी तरह की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता था। लेकिन अगले कारोबारी साल के दौरान सरकार ने बारिश वाले इलाकों में मनरेगा के तहत 5 लाख कुंए और तालाब बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 10 लाख गड्ढे खोदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकार ने सबसे ज्यादा जोर सड़कों पर दिया है। राजमार्गों के अलावा सरकार गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाने के प्रति विशेष तौर पर गंभीर है और इस बार के बजट में इस मद में अब तक की सबसे ज्यादा रकम आवंटित की गई है। वित्तमंत्री ने कहा कि जो भी ऐसी जगहें हैं जहां लोग रहते हैं, लेकिन नजदीकी शहरों से उनका संपर्क नहीं है, उन्हें सड़कों से जोड़ा जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक ऐसी करीब 65,000 जगहें हैं, जिन्हें 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसे पूरा करने की समय सीमा 2021 से घटाकर 2019 कर दी गई है। लेकिन यह तो अगले तीन साल की योजना है।

वर्ष 2016–17 के दौरान गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। इससे पहले 2012–13 में इस योजना के तहत कुल आवंटन 8,885 करोड़ रुपये और 2013–14 के दौरान 9,805 करोड़ रुपये था। लेकिन इस साल राज्यों के आवंटन को मिलाकर इस मद में कुल लगभग 27,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो अभूतपूर्व है। इस तरह की तमाम सड़कों के बनने की रफ्तार इस समय 100 किलोमीटर प्रतिदिन है, जो 2011–14 के दौरान औसतन 73.5 किलोमीटर रही, बढ़ी हुई फंडिंग और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इसमें आने वाले महीनों में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ग्रामीण सड़कों के अलावा सरकार ने "भारत बदलाव" के अपने एजेंडे को सफल करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी बांड के जरिए 15,000 करोड़ रुपये जुटाएगा। यानी ग्रामीण और शहरी को मिलाकर सड़कों के लिए सरकार ने 2016–17 के दौरान 97,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस रकम से 2016–17 के दौरान एक

ओर जहां 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम पूरा कर लिया जाएगा, वहीं बजट में उम्मीद जताई गई है कि 10,000 किलोमीटर और निर्माण को स्वीकृति मिल जाएगी, जोकि पिछले दो वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इनके अलावा करीब 50,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा।

सरकार ने देश के विकास में तेज और सुरक्षित परिवहन की जरूरत को समझते हुए सड़कों के अलावा रेल, हवाई और जल परिवहन के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए 2016–17 के दौरान 1.21 लाख करोड़ रुपये का योजनागत व्यय किया जाएगा, जोकि चालू साल के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा है। इस साल सरकार 2500 किलोमीटर बड़ी लाइन तैयार करने का लक्ष्य पार करने की उम्मीद कर रही है और अगले साल उसने 2800 किलोमीटर लाईन का आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा है। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अगले कारोबारी साल के दौरान नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण करने, आमान परिवर्तन करने और मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एमटीपी) की 83 नई परियोजनाओं के लिए 1,14,122 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत 7,834 किलोमीटर रेललाइन पर काम होगा। रेलमंत्री ने अगले वित्तवर्ष में प्रतिदिन 7 किलोमीटर लाइन के आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा है जोकि पिछले 6 वर्ष में औसत 4.3 किलोमीटर आमान परिवर्तन से लगभग तीन चौथाई ज्यादा है। वर्ष 2017–18 में इसे बढ़ाकर 13 किलोमीटर प्रतिदिन और 2018–19 में 19 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी चालू वित्तवर्ष से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 2000 किलोमीटर कर दिया गया है।

औद्योगिक प्रगति को नई गति देने के लिए सुरेश प्रभु ने 2016–17 के रेल बजट में तीन नए फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा की। दिल्ली से चेन्नई को जोड़ने के लिए उत्तर–दक्षिण, खड़गपुर को मुंबई से जोड़ने के लिए पूर्व–पश्चिम और खड़गपुर से विजयवाड़ा को जोड़ने के लिए पूर्वी तटीय फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा रेलमंत्री ने बंदरगाहों को रेललाइन से जोड़ने की सरकार की प्राथमिकताओं का ऐलान करते हुए बताया कि चालू वित्तवर्ष के दौरान जयगढ़, दिघि, रेवास और पारादीप के पोर्ट को रेल के जरिए जोड़ने पर काम चालू हो चुका है और 2016–17 के दौरान नारगोल और हजीरा को भी पीपीपी मॉडल (सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त तौर पर) के तहत रेल नेटवर्क में ले आया जाएगा। सरकार की बहुचर्चित सागरमाला परियोजना की शुरुआत हो ही चुकी है और इस साल इस कड़ी में पूर्वी व पश्चिमी समुद्र तटों पर कुछ नए बंदरगाह भी बनाए जाएंगे।साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग के काम में तेजी लाने के लिए भी 800 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना से देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ सकता है और सागरमाला परियोजना देश के निर्यात को और सक्षम और प्रतिस्पर्धी उद्यमिता बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

देश में हवाई परिवहन का परिदृश्य बदलने के लिए भी सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश और निर्माण की योजना का खुलासा किया है। निष्क्रिय पड़े और बदहाल हवाईअड्डों को हवाई यातायात के केंद्र बनाने के लिहाज से केंद्र ने राज्य सरकारों के पास पड़े ऐसे 160 हवाईअड्डों की पहचान की है जिन्हें 50 से 100 करोड़ रुपये के आरंभिक खर्च से शुरू किया जा सकता है। इनके अलावा सरकार की भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास पड़ी 25 निष्क्रिय हवाईपट्टियों में से भी 10 को विकसित किए जाने की तैयारी है। कुल मिलाकर सड़क, हवाई और जल परिवहन पर सरकार ने आगामी वित्तवर्ष के दौरान लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है, जो नव भारत के सरकार के एजेंडे को पूरा करने में निर्णायक साबित होने वाले हैं।

"नव भारत" के लिए जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार ने चुना है, वह है बिजली का। 15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से भाषण देते हुए घोषणा की थी कि अगले 1000 दिनों में बिजली कनेक्शन से वंचित लगभग

18,500 गांवों का विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने देश को बताया कि पिछले साल भर में उसके पहले के 3 साल के मुकाबले ज्यादा गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। इसी के साथ उन्होंने यह भी घोषणा की कि 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजनाओं के मद में 2016–17 के दौरान सरकार 8,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकार ने माना है कि देश की अधिसंख्य जनसंख्या गांवों और छोटे शहरों में रहती है और इसलिए देश में बदलाव की शुरुआत उन्हीं इलाकों से करनी होगी। इसी दृष्टि के साथ बजट प्रस्तावों में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्राम पंचायतों और नगर निगमों को अनुदान के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जोकि पिछले 5 सालों के आवंटन की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है। इस हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये और हर नगर निगम को 21 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। सरकार ने कहा है कि पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इसे खर्च करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा। अकेले इस एक बजट प्रस्ताव में पूरे देश का चेहरा बदल देने की कूव्वत है, बशर्ते आवंटित अनुदान को सही तरीके से खर्च किया जा सके।

भारत के कायाकल्प का एक महत्वपूर्ण चरण युवाओं में उद्यमिता का विकास भी है, जिसके लिए बजट में विस्तार से चर्चा की गई है। एक तरफ तो "डिजिटल इंडिया" अभियान के तहत अगले 3 सालों में 6 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता के दायरे में लाने के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन योजना शुरु करने की घोषणा की गई है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को एक अप्रैल 2016 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत कार्यान्वित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह दोनों ही योजनाएं लंबी अवधि में गवर्नेंस में पारदर्शिता और सक्षमता को नए स्तर पर पहुंचाने में अहम कड़ी साबित होंगी। एससी/एसटी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "स्टैंडअप इंडिया" योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत हर बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को फाइनेंस करेगी, जिसमें अनु. जाति और अनु. जनजाति कोटे से एक–एक परियोजनाएं शामिल होंगी।

बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्स के जरिए 2200 कॉलेजों, 300 स्कूलों, 500 सरकारी आईटीआई और 50 वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्रों में उद्यमिता की शिक्षा और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए देश के दूरदराज के क्षेत्रों में काम कर रहे उद्यमियों को एक साथ जोड़ा जाएगा और फाइनेंसिंग में भी उनकी मदद की जाएगी। देश में 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने वाले मझोले और छोटे उद्योग (एसएमई) सेक्टर को मदद देने के लिए पिछले साल सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। बजट में वित्तमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत इस साल फरवरी तक करीब 2.5 करोड़ छोटे एवं मझोले उद्यमियों ने एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया। इस योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 2016–17 के दौरान दी जा सकने वाली कर्ज की रकम बढ़ाकर ₹1.80 लाख करोड़ कर दी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन" के सिद्धांत पर भी खासा ध्यान दिया गया है और इससे संबंधित कई नए विधेयक लाने की बात कही है, लेकिन इनके प्रभाव पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरकार ने वित्तीय सेवाओं और सब्सिडी के भुगतान के लिए सीधे नकद हस्तांतरण का दायरा बढ़ाने और खाद को भी इसमें शामिल किए जाने की बात कही है। इस संबंध में मौजूदा बजट सत्र में ही सरकार एक विधेयक भी लाएगी, हालांकि इसका विवरण अभी सामने नहीं आया है। देशभर में 5.35 लाख उचित दर दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें 3 लाख दुकानों में मार्च 2017 तक ऑटोमेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। लालफीताशाही पर लगाम लगाने और कारोबार करने की सरलता बढ़ाने के लिहाज से भी बजट में कुछ नए विधेयक लाने की बात की गई है। इन घोषणाओं और प्रावधानों के साथ ही निश्चित तौर पर सरकार ने अरसे बाद एक ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर सचमुच भारत को बदलने की क्षमता है। लेकिन हमेशा की तरह सरकार के सामने क्रियान्वयन की चुनौती बरकरार है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में भी कई कदम उठाए हैं और मौजूदा बजट में भी 1500 सेंट्रल प्लॉन स्कीम को पुर्नगठित कर 300 केंद्रीय सेक्टर और 30 सेंटर प्रायोजित स्कीम में बांटने की वित्तमंत्री श्री जेटली की घोषणा बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और सरकारी तंत्र को और सक्षम बनाने की कोशिशों का ही हिस्सा है, फिर भी भारत में बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए इस पर सरकार को लगातार सचेष्ट रहने की आवश्यकता है।

(लेखक आर्थिक और कॉरपोरेट मामलों के जानकार हैं और सीएनबीसी, ज़ी बिजनेस और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। फिलहाल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल के तौर पर नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के साथ जुड़े हैं)
ई–मेलः bhaskarbhuwan@gmail.com

ग्रामीण विकास को समर्पित बजट

–रमेश सिंह

बजट 2016-17 को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में 'ग्रामीण विकास' को समर्पित बजट माना जा सकता है। 'नए भारत के निर्माण का' यह बजट 'नौ स्तंभों' पर टिका है। वैसे तो सभी स्तंभों का ग्रामीण विकास से संबंध है और इनमें एक स्वयं ही 'ग्रामीण क्षेत्र' है। इसके बाद एक स्तंभ 'कृषि एवं किसान कल्याण' है जो ग्रामीण जनसंख्या की आय से प्रत्यक्ष जुड़ा है। तीन अन्य स्तंभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास से जुड़े हैं।

भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति निम्न बनी रही है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक नीतियों में ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। लेकिन कई कारणों से इस जनसंख्या के जीवन–स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सका है जो संक्षेप में निम्न प्रकार रहे हैंः–

- आजादी के बाद औद्योगिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक शक्ति चुना जाना। इस कारण कृषि क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितनी आवश्यकता थी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण जनसंख्या की आय पर पड़ा जिस कारण उनकी विकास प्रक्रिया मंद रही।
- औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार आशानुरूप नहीं होना जिस कारण ग्रामीण जनसंख्या का उद्योग की तरह विकास नहीं हो सका और इसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ायी नहीं जा सकी।
- 'कृषि' का राज्य सूची में होने से कृषि क्षेत्र उचित निवेश से वंचित रहा जिस कारण ग्रामीणों की मूल आय के स्रोत का सही विकास नहीं हो सका। राज्यों की आर्थिक स्थिति इसके लिए जिम्मेदार रही।
- 1980 के दशक से कृषि छूटों एवं आहार छूटों के तेजी से बढ़ने से भारत सरकार की राजकोषीय स्थिति काफी दबाव में आती गई जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि निवेश पर पड़ा।
- आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र के निवेश को कृषि क्षेत्र की तरफ निर्देशित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।
- इन सबके बीच ग्रामीण विकास पर सरकारों का ज़ोर नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। उस क्षेत्र के विकास के लिए कई समेकित एवं क्षेत्रगत कार्यक्रमों का परिचालन किया जाता रहा; यथा सिंचाई, बीमा, स्वास्थ्य, सड़क एवं परिवहन। किंतु विकास की प्रक्रिया पर बेहतर प्रभाव पड़े, ऐसी स्थिति बनना आमतौर पर संभव नहीं हो सका।

ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां की आबादी, जिनकी आय मूलतः कृषि कार्यों से प्राप्त होती है, काफी निम्न है। नवीन आंकड़ों के अनुसार देश की 48.9 प्रतिशत आबादी (जिनमें बहुतायत ग्रामीण लोग हैं) अपना जीवनयापन राष्ट्रीय घरेलू आय के 17.4 प्रतिशत (कृषि का योगदान) से ही करते हैं। अर्थात्, ग्रामीण जनसंख्या अपनी आय के मामले में सर्वाधिक कमजोर घटक है।

हाल के प्रयास – आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के लगभग एक दशक बाद भारत सरकार को आर्थिक नीतियों में ग्रामीण क्षेत्र के मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तथा कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए–

- कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक शक्ति माना गया। नई कृषि नीति (2000) में, आधिकारिक तौर पर, कृषि को 'उद्योग' का दर्जा दिया गया तथा 'कॉरपोरेट' एवं 'कांट्रैक्ट' कृषि की अनुमति प्रदान की गई।
- कृषि उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर व्यवस्था के प्रति कई कदम उठाए गए।
- कृषि छूटों को आर्थिक बनाने एवं इससे संबद्ध कमियों पर ध्यान दिया गया।
- ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज व्यवस्था, सिंचाई, बीमा, इत्यादि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया।

लेकिन इन प्रयासों का ग्रामीण विकास पर कोई भारी प्रभाव दिखे, ऐसी स्थिति नहीं बन सकी। इस बीच, विशेषज्ञों एवं नीति निर्माण से जुड़े संस्थानों का यही मानना रहा कि बिना कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास पर ध्यान दिए भारत का विकास संभव नहीं हो सकेगा। वर्ष 2016–17 के केंद्रीय बजट को इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बजट और ग्रामीण क्षेत्र

वर्तमान बजट द्वारा ग्रामीण विकास से जुड़े उन सभी पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है जो अत्यंत समकालीन हैं। बजट के इन प्रयासों का एक विश्लेषण काफी उचित होगा–

'ग्रामीण क्षेत्र' नामक स्तंभ के अतंर्गत बजट में प्रावधान

पंचायती राज व्यवस्था के लिए धन के प्रावधान में 228 प्रतिशत वृद्धि की गई है (चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान सिफारिश द्वारा)। इसके अंतर्गत ग्रामसभाओं को प्रतिवर्ष 16 करोड़ रु. की प्राप्ति होगी जिसके द्वारा ग्रामीण विकास एवं इसके सशक्तीकरण पर भारी धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस धन का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए ग्रामसभाओं द्वारा स्वनिर्णय से किया जा सकेगा जिसका चंहुदिश प्रभाव पड़ेगा। इसमें विकास की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने का एक सशक्त प्रयास दिखता है। ऐसा प्रयास इसके पहले वर्ष 2002 में दसवीं योजना द्वारा विकेन्द्रीकृत विकास पर जोर देते हुए पहली बार किया गया था।

महात्मा गांधी नरेगा – ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़ी इस योजना पर बल देते हुए इसकी पुनर्संरचना की गई है। इसके अतंर्गत कृषि सिंचाई कार्यों को जोड़ा गया है। इसका पहला प्रभाव ग्रामीण आय और दूसरा प्रभाव कृषि आय पर पड़ेगा अर्थात् यह योजना अब सिर्फ मजबूरी–आधारित रोजगार को ही समर्पित नहीं है बल्कि इसे एक दीर्घावधिक कृषि निवेश का भी स्वरूप मिला है।

दीनदयाल अंत्योदय मिशन – इस मिशन को प्रखंड–स्तर पर 'सूखे' एवं 'ग्रामीण संकट' से निबटने के लिए चलाया जाना तय है। इसे आंतरिक तौर पर 'महात्मा गांधी नरेगा' एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी जोड़ा गया है ताकि प्रयासों को समेकित किया जा सके।

रुरबन संकुल – इसके अतंर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संवृद्धि केंद्रों का विकास किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन नाम से कार्यान्वित इस मिशन के कई लक्ष्य हैं जिनका ग्रामीण विकास से प्रत्यक्ष संबंध है–आधारभूत संरचना विकास, किसानों के लिए बाजार की पहुंच और कौशल एवं रोजगार विकास।

ग्रामीण विद्युतीकरण – आर्थिक विकास में बिजली का महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे भी 'डिजिटल इंडिया' एवं अन्य सूचना आधारित कार्यक्रमों की सफलता बिजली पर टिकी है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया बिना बिजली के नहीं चल सकती। देश के वैसे गांवों जहां बिजली आज भी नहीं पहुंचायी जा सकी है, (18,542 गांव) को लक्षित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लक्ष्य 100 प्रतिशत गांवों में विद्युत आपूर्ति है। इस कार्यक्रम में समेकित विद्युत आपूर्ति है। इस कार्यक्रम में समेकित विद्युत विकास योजना का भी योगदान सम्मिलित किया जाएगा। इन गांवों में अगले 1000 दिनों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।

स्वच्छ भारत अभियान – इस अभियान के तहत पूरे भारत में साफ–सफाई अभियान ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किए गए। इस प्रकार की यह सबसे बड़ी योजना है जिसका ग्रामीण विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। इसके अंतर्गत खुले में शौच को समाप्त करने का भी लक्ष्य है।

डिजिटल साक्षरता – देश जनसांख्यिक लाभ तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि जनसंख्या कौशल की प्राप्ति नहीं करे। कौशल विकास में डिजिटल माध्यम का भारी योगदान है। इसी

प्रकार आने वाले समय में सरकार इस माध्यम का उच्च स्तरों पर उपयोग करने जा रही है–सब्सिडी आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समेकन, इत्यादि।

देश के 16.8 करोड़ ग्रामीण घरों में से करीब 12 करोड़ घरों में आज भी कंप्यूटर नहीं है तथा ज्यादा संभावना है कि इन परिवारों में कोई एक सदस्य भी डिजिटली साक्षर नहीं हो। यही कारण है कि सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता के लिए ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित 'डिजिटल साक्षरता मिशन' की घोषणा की गई है। अगले तीन वर्षों में इसके अंतर्गत करीब 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पहले ही से दो योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है– 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन' तथा डिजिटल साक्षरता अभियान'।

भू–आंकड़ा आधुनिकीकरण – ग्रामीण जीवन प्रमुखतया भूमि पर निर्भर है तथा भू–विवाद भारत में एक पुरानी समस्या है। इस प्रकार के विवादों को लगभग समाप्त करने के लिए भूमि के स्वामित्व स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है। इस दिशा में पहले से भी प्रयास जारी था। इस बार इस कार्यक्रम राष्ट्रीय भूमि आंकड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पुर्नसंरचित कर दिया गया है। अब यह एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका सकल वित्तपोषण केन्द्र सरकार करेगी। इस कार्यक्रम द्वारा भूमि से संबंधित एक समेकित सूचना प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य है।

पंचायत अभिशासन – देश में अभिशासन को बेहतर बनाने की काफी मांग है। यह पहली बार है कि पंचायतों की अभिशासन की क्षमताओं के विकास की बात की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य है कि पंचायतों की अभिशासन क्षमता का विकास करके उन्हें सतत् विकास के लक्ष्यों से जोड़ा जाए।

अभिशासन सुधार एवं क्षमता विकास के इस कार्यक्रम को 'डिजिटल आधार' दिया जाना तय है ताकि पंचायत–स्तर के विकास संबंधी कार्यकलापों में द्रुतता, पारदर्शिता और क्षमता प्रदान की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सकल बजटीय प्रावधान 87, 765 करोड़ रुपये है जो पिछले बजट से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।

कृषि और ग्रामीण विकास – 'कृषि एवं किसान कल्याण' बजट के नौ स्तंभों में से एक हैं जिसका सीधा संबंध ग्रामीण विकास से है। ग्रामीण आय एवं किसानों के संकट का समाधान करने के पश्चात ही ग्रामीण विकास टिकाऊ हो सकता है। इस सिलसिले में इस बार के बजट की कुछ विशेषताओं को अद्धृत करना तर्कसंगत होगा।

आय सुरक्षा – किसानों की आय को सुरक्षित करना वास्तव में ग्रामीण जनसंख्या की आय को सुरक्षित करना है। इस क्षेत्र में मूलतः दो समस्याएं रही हैं–पहला, किसानों की आय कई कारणों से सुरक्षित आय नहीं बन पाई है जिसके कई कारण रहे हैं, यथा सिंचाई के लिए मानसून पर भारी निर्भरता, कृषि बीमा की कमजोर स्थिति, कृति सरल एवं अन्य लागतों एवं व्यवस्थाओं की कमी। दूसरी समस्या रही है कृषि कार्य को लाभदारी बनाने की–पिछले कुछ दशकों में कृषि आर्थिक रूप से अलाभकारी पेशा बनता गया है। कृषि कार्य एक लाभकारी पेशा बन सके, इसके लिए एक 'समेकित कृषि नीति' की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। आम बजट द्वारा इस दिशा में एक सशक्त प्रयास किया गया है।

देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ कृषक समाज अगर कृषि आय के प्रति भरोसेमंद नहीं रहेगा तो कई गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं– खाद्य असुरक्षा, लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या की आय में तेज ह्रास, किसानों के जीवन से जुड़ी कई समस्याएं इत्यादि। यही कारण है कि सरकार द्वारा बजट में किसानों की आय को वर्ष 2022 तक 'दुगुना' करने की घोषणा की गई है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा कई कृषि क्षेत्र एवं गैर–कृषि क्षेत्र संघटकों के उपयोग की घोषणा की गई है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण पर सरकार द्वारा 35,984 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

कृषि आय सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बजट में कई संबंधित घटकों पर ध्यान देना तय किया गया है– जल संसाधनों का इष्टतम् उपयोग (जल उत्पादकता पर ध्यान); सिंचाई के नए संसाधनों का विकास; उर्वरकों के संतुलित उपयोग द्वारा मृदा उर्वरता का संरक्षण; कृषि उत्पादों का मूल्यवर्द्धन तथा कृषि को बाजार से जोड़ने का प्रयास इत्यादि। कृषि संबंधी प्रयासों को हम संक्षिप्त रूप से इस प्रकार देख सकते हैं:–

- बजट में कृषि क्षेत्र को किए गए धन आवंटन में लगभग दुगुनी वृद्धि की गई है। इस वर्ष 44,485 करोड़ रु. आवंटित किए गए है जो पिछले बजट में 22,958 करोड़ रु. थे।
- कृषि बजट के व्यय प्रावधान में कई अन्य मदें शामिल हैं, जैसे–कृषि ऋण ब्याज पर छूट; सिंचाई एवं कृषि बीमा; कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक स्तरीय 'ई–मार्केट' (थोक बिक्री के लिए) की स्थापना तथा दलहन उत्पादन इत्यादि।
- जल संसाधन एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इस मामले में बजट द्वारा आर्थिक समीक्षा 2015–16 के कृषक संकट विश्लेषण से प्रेरणा ली गई है। समीक्षा में भारतीय कृषि क्षेत्र को 'अपनी ही प्रक्रिया (हरितक्रांति) का शिकार' बताया गया है। भारतीय कृषि

हरितक्रांति पर दिए गए विशेष बल के कारण कई समस्याओं से घिरती चली गई– खाद्यान्न केन्द्रित विकास, प्रादेशिक सुझाव एवं आगतों (भूमि, जल एवं उर्वरकों) का सघन इस्तेमाल। समीक्षा में कृषि क्षेत्र के लिए एक नई सोच/रणनीति का सुझाव दिया गया है–''कम से ज्यादा'' प्राप्ति। इसके लिए संसाधनों के कुशल प्रयोग, उर्वरक छूटों के आवंटन में सुधार, आदि पर बल देना आवश्यक है।

- बजट के प्रावधानों में नीति आयोग के 'कृषि' को 'लाभकारी' बनाने संबंधी सुझावों की भी झलक मिलती है। आयोग का मानना है कि भारत के 'सिंचित क्षेत्र' को बिना अतिरिक्त जल के दुगुना किया जा सकता है। इसके लिए जल संसाधनों की दक्षता का विकास करना आवश्यक है। 'ड्रिप एवं स्प्रिंक्लिंग' सिंचाई व्यवस्थाओं की मदद से)।
- कृषि क्षेत्र की आय में वृद्धि करने तथा किसानों के कल्याण के लिए अन्य कई उपायों की घोषणा की गई है–कार्बनिक कृषि पर बल, कृषि उत्पाद मूल्यवर्धन; दलहन उत्पादन; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष; कृषि विज्ञान केन्द्र; पशुधन विकास पर जोर इत्यादि।

आधारभूत संरचना एवं कौशल विकास – भारत के स्वरूप को बदलने के प्रति समर्पित इस बजट के नौ स्तंभों में से दो हैं–आधारभूत संरचना तथा शिक्षा कौशल विकास। ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों में ज्यादातर कदम तात्कालिक राहत देने को समर्थित रहे हैं। ऐसी नीतियां छोटी अवधि की होती हैं जिनका व्यय सतत् रूप से वहन कर लेने के बाद भी लोगों के जीवन पर इनका दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि ऐसे प्रयासों से किसी टिकाऊ क्षमता का विकास नहीं होता। अतः ग्रामीण जनसंख्या का विकास भी टिकाऊ नहीं हो सका। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण जनसंख्या ऐसी व्यवस्था में सरकार द्वारा किए जाने वाले धन हस्तांतरण पर निर्भर होती चली गई है।

ऐसे में आवश्यकता है वैसे ठोस कदम उठाने की जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में क्षमता का विकास हो सके और ग्रामीण जनजीवन अपने विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। ऐसी नीति अपना प्रभाव दिखाने में थोड़ा समय जरूर लेती है लेकिन इसका प्रभाव टिकाऊ और दीर्घावधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास (सड़क, संचार, बिजली, इत्यादि) वास्तव में इनकी 'जीवनरेखा' का मजबूतीकरण है। इसका ग्रामीण विकास पर चहुंदिश प्रभाव पड़ेगा तथा यह प्रभाव टिकाऊ भी होगा। इसी प्रकार ग्रामीण जगत में शिक्षा एवं कौशल विकास की कोशिश ग्रामीण जनसंख्या को आतंरिक आर्थिक शक्ति प्रदान करेगी। साथ–साथ इनके माध्यमों से ग्रामीण जीवन सरकार से होने वाले 'प्रत्यक्ष हस्तांतरण' पर कम से कमतर निर्भर होता जाएगा तथा इसे 'बाजार' से जोड़ा जा सकेगा। इसके माध्यम से न सिर्फ ग्रामीण रोजगार को और लाभकारी बनाना संभव होगा बल्कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से स्वरोजगार सर्वश्रेष्ठ रोजगार है।

स्वास्थ्य व्यवस्था

स्वास्थ्य का ग्रामीण जीवन एवं इसके विकास से गहरा संबंध है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी लगभग हर संभव समस्या विद्यमान है– अस्पतालों की कमी, स्वास्थ्य बीमा योजना की कमी, कुशल चिकित्सकों की कमी, लोगों में जागरुकता की कमी इत्यादि। ग्रामीण जन, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपस्थिति के चलते अपनी शक्ति का विकास कार्यों में क्षमतानुसार उपयोग नहीं कर पाता और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी आय, विकास और जीवन प्रत्याशा पर पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य के मामले में लाचार है और देश के आर्थिक विकास में इस विशाल मानव संसाधन का क्षमतानुसार इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

इन समस्याओं के मद्देनजर इस बजट में कुछ विशेष कदम उठाने की घोषणा की गई है– ग्रामीण परिवारों की स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के लिए प्रति परिवार एक लाख रु. का स्वास्थ्य बीमा (60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त तीस हजार रु. की व्यवस्था); 'डायलिसिस' का राष्ट्रीय कार्यक्रम, गरीब परिवारों के लिए खाना पकाने के लिए गैस (LPG) की सुविधा; जन औषधि योजना; इत्यादि।

अन्य घोषणाएं – उपरोक्त विशेष प्रयासों के अतिरिक्त सरकार द्वारा इस बजट में अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका ग्रामीण विकास पर तात्कालिक एवं दीर्घावधिक दोनों ही प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम हैं–वित्तीय समेकन; कर सुधार; अभिशासन सुधार; 'आधार' के माध्यम से अन्यान्य छूटों एवं सुविधाओं की आपूर्ति (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण); इत्यादि।

निष्कर्ष – इस प्रकार संघीय बजट 2016–17 को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में 'ग्रामीण विकास' को समर्पित बजट माना जा सकता है। ग्रामीण विकास पर बढ़े हुए इस सरकारी बल का वास्तविक लाभ निम्न कारकों पर निर्भर करेगा जिसके मामले में यह बजट पहले के अन्य बजटों से विशेष सचेत दिखता है:–

- बजटीय प्रावधानों का सही कार्यान्वयन और सटीक आपूर्ति; इसके लिए बेहतर अभिशासन; डिजिटल माध्यम द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण; सब्सिडी सुधार इत्यादि की व्यवस्था बेहतर करनी होगी।

- केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों के मध्य एक बेहतर तालमेल जो सहभागिता एवं सहयोग पर टिका हो। इस दिशा में 'नीति आयोग' की भारी भूमिका होगी। भारत को संघीय परिपक्वता दिखलाने की आवश्यकता होगी।
- कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सही मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन। इसके लिए 'नीति आयोग' की पहल एवं क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
- ग्रामीण जीवन के विकास को सही दिशा देने एवं मजबूती के लिए जनसहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्ष 2016–17 से पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान में 228 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारों को ध्यान रखने की जरूरत है कि इस धन को लोक सहयोग द्वारा न सिर्फ सही मदों पर खर्च किया जाए बल्कि इसे भ्रष्टाचार से भी मुक्त रखा जा सके। साथ ही स्थानीय–स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं लेखांकन, इत्यादि की उचित व्यवस्था अत्यावश्यक होगी।
- ग्रामीण विकास की रूपरेखा तभी सही रूप में साकार हो सकेगी जब इसमें दोनों प्रकार के नीतिगत तत्व विद्यमान होंगे–अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक। सरकार का खुद ही मानना है कि देश में एक विशेष मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है जो पहले से न सिर्फ अधिक जागरूक है बल्कि सरकारों से बेहतर सुविधाओं और बर्ताव की अपेक्षा रखता है। चूंकि यह मुखर भी है अतः इसके विकास के लिए सिर्फ तात्कालिक राहत (जैसाकि सब्सिडी–आधारित योजनाएं करती हैं) काफी नहीं होगी। इनकी विकास प्रक्रिया में एक निरंतरता का तत्व शामिल किया जाना जरूरी होगा। अर्थात दीर्घावधिक नीतियों की अनुपस्थिति कभी भी अच्छी नहीं होगी।
- इस बजट के साथ अच्छी बात यह है कि सरकार ने उपरोक्त तथ्यों को अपने प्रयासों में समाहित करने का पूरा प्रयास किया है।
- हम आशा कर सकते हैं कि इस बचत द्वारा ग्रामीण विकास को एक नया आयाम देने की दिशा में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(लेखक आर्थिक विश्लेषक एवं निबंधकार हैं। इन्होंने 'मैकग्रा हिल' के लिए कई पुस्तकों का लेखन किया है जिनमें 'इंडियन इकोनॉमी' (हिन्दी में भी उपलब्ध) तथा 'कन्टेमपोररी एर्सज्' काफी लोकप्रिय हैं। इनके लेख 'योजना' सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं।)

ईमेलः dr.rmsh@gmail.com

कृषि अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के ठोस उपाय

–जगन्नाथ कश्यप

बजट 2016-17 में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण को समर्पित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो समावेशी विकास को सुनिश्चित करेंगे। बजट का सबसे सराहनीय बिंदु यही है कि यह कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को बिंदुवार तरीके से सुलझाने का एक गंभीर प्रयास है। इस वर्ष के बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए कुल 35984 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि वास्तविक भारत गांवों में बसता है तथा कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है। यूं तो ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के तीनो हीं क्षेत्रकों अर्थात प्राथमिक (जिसमें कृषि एवं सहयामी क्रियाएं आती हैं, द्वितीय (यानी उत्पादन) एवं तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्रक के बीच संतुलन एवं सामंजस्य अति आवश्यक है। परंतु इसमें भी कृषि इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध मानवीय आवश्यकता से है। यदि भारत की बात की जाए तो हमारे यहां कृषि एवं सहयामी क्रियाओं से कार्यबल का 48.9 प्रतिशत हिस्सा जुड़ा हुआ है। अर्थात लगभग आधी आबादी कृषि एवं सहयामी क्रियाओं पर अपने जीवनयापन हेतु निर्भर है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या के इसमें शामिल होने के बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी मात्र 17.4 (वर्ष 2014–15) तक ही सीमित है। कृषि क्षेत्र की महत्ता को इसी बात से समझा जा सकता है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की 8 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने के लिए कृषि और सहयामी क्रियाओं में भी 4 प्रतिशत की दर से विकास होना आवश्यक है।

परन्तु यदि पिछले तीन वर्षों की स्थिति को देखें तो कृषि विकास दर वर्ष 2012–13 के लिए 1.5 प्रतिशत, वर्ष 2013–14 के लिए 4.2 प्रतिशत और वर्ष 2014–15 के लिए यही ऋणात्मक अर्थात (–0.2 प्रतिशत) रहा। जबकि हालिया जारी हुए एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2015–16 के लिए कृषि विकास दर 1.1 प्रतिशत होने के आसार हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि विकास दर में निरंतरता व स्थायित्व नहीं है। मानसून की कमी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की मार का परिणाम इन आंकड़ों से स्पष्ट दृष्टिगत होता है। कृषि क्षेत्र की महत्ता को समझते हुए तथा लगातार दो वर्षों से सुखाड़ के संभावित

नकारात्मक परिणाम को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा बजट के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्रक में जान डालने का एक प्रभावी प्रयास दिखता है। हालांकि कृषि पर विशेष बल देने का कारण देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अलावा एक और गूढ़ कारण भी हो सकता है। वर्तमान में जिस प्रकार से सभी बड़े देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में घरेलू मांग को बनाए रखना और इसे बढ़ाना तथा घरेलू बचत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और चूंकि कृषि एवं सहयामी क्रियाओं से हमारे देश का एक बड़ा जन भाग जुड़ा हुआ है इसलिए इस क्षेत्र के मजबूत होने और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ने से हमें घरेलू मांग बनाए रखने एवं बढ़ाने में एक तरफ जहां मदद मिलेगी वहीं घरेलू बचत का भी सृजन हो सकेगा जोकि हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देगा।

अतः उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही हमारे वित्तमंत्री अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दुगुना करने का दावा करते हैं। वर्तमान में जो कृषि से लोगों का पलायन हो रहा है तथा शहरों में अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है उसका सबसे बडा कारण है कृषि का एक अलाभकारी क्रिया होना, विशेषकर छोटे एवं मध्यमवर्गीय किसानों के लिए। आइए इसको आंकड़ों से समझते हैं। हाल ही में 2015–16 के लिए 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' की रिपोर्ट में रबी और खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्राप्त होने वाले लाभ की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए धान का 'निवल लाभ' रु. 4356 प्रति हेक्टेयर, वहीं मक्का के लिए रु. 3865 प्रति हेक्टेयर जबकि ज्वार के लिए तो यह ऋणात्मक था। वहीं रबी फसलों के लिए गेहूं का निवल लाभ रु. 14260 तथ जौ व चना का क्रमश रु. 12419 एवं रु. 7479 था। चूंकि गेहूं और धान 6 महीनों वाली फसलें हैं, ऐसे में यदि कोई किसान पूरे वर्ष एक हेक्टेयर भूमि पर गेहूं एवं चावल की खेती करता है तो उसकी वार्षिक आय (14260 + 4356) = 18616 रु. होगी, यानी उसकी मासिक आय 1551 रु. होगी। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि क्यों बड़ी संख्या में किसान खेती से पलायन कर रहे हैं या फिर आत्महत्या तक को मजबूर हो रहे हैं। (निवल लाभ उत्पादन के सकल मूल्य में से कुल लागत को घटाकर निकाला जाता है)

कृषि क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा के कई कारण हैं और यह सब एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। बजट 2016–17 का सबसे सराहनीय बिंदु यही है कि यह कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को बिंदुवार तरीके से सुलझाने का एक गंभीर प्रयास है। इस वर्ष के बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए कुल 35984 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र की सबसे बडी समस्या है 'उत्पादकता की कमी'। वैश्विक औसत की तुलना में भारत में विभिन्न फसलों की उत्पादकता में काफी अंतर है। वर्ष 2013 के लिए भारत में गेहूं की औसत उपज 3075 कि./हेक्टेयर थी जबकि वैश्विक औसत 3257 कि./हेक्टेयर (किग्रा. प्रति हेक्टेयर)। धान के लिए यह स्थिति और भी दयनीय है। जहां सभी भारतीय राज्यों की औसत उपज चीन से कम है, यहां तक कि बेहतर माने जाने वाले राज्य जैसे पंजाब की औसत उपज 6000 किग्रा. प्रति हेक्टेयर है जबकि चीन की 6709 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अधिकांश राज्यों की उत्पादकता तो बांग्लादेश से भी कम है। कमोबेश यही स्थिति दलहन के लिए भी है। भारत के मुख्य दाल उत्पादन करने वाले राज्य जैसे मध्य प्रदेश की उत्पादकता जहां 938 किग्रा. प्रति हेक्टेयर है वहीं चीन की 1550 किग्रा. प्रति हेक्टेयर।

इस उत्पादकता में कमी के कई कारण हैं जिसमें सिंचाई की कमी एक बड़ी वजह है। इसके अतिरिक्त भूखंडों का छोटा होना, तकनीकी की कमी,पूंजी के अभाव में आवश्यक इनपुट का अभाव जैसे और भी कारण हो सकते हैं। हालिया आंकड़ों (वर्ष 2012–13) के अनुसार कुल फसल क्षेत्र का मात्र 33.9 प्रतिशत निवल सिंचित क्षेत्र है। अतः बजट 2016–17 में सिंचाई पर विशेष ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन के तौर पर कार्यान्वित करते हुए 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए 5717 करोड़ रु. की राशि को आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का निर्माण इंटिग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोग्राम एवं ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं को समायोजित कर किया गया है। इसके अतिरिक्त लंबित पड़ी छोटी–बड़ी 89 सिंचाई परियोजनाओं को भी गति प्रदान करने का लक्ष्य है, जिससे कि लगभग 80.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। इस पूरी परियोजना की पूर्ति हेतु अगले पांच वर्षों में 86500 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें वर्ष 2016–17 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 12517 करोड़ रुपये के खर्च से 23 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। इन सबके साथ ही एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम के रूप में दीर्घावधि सिंचाई फंड की स्थापना के लिए प्रारंभिक तौर पर 20000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस निधि का प्रयोग सिंचाई परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। इस बजट का अन्य सकारत्मक पक्ष है 'मनरेगा' को सिंचाई संरचना के निर्माण से जोड़ना। इस बार 'मनरेगा' को 38500 रुपये का भारी–भरकम आवंटन किया गया है, अतः इसके माध्यम से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 5 लाख के लगभग तालाब व कुंए की खुदाई का लक्ष्य रखना कहीं न कहीं दोहरा लाभ प्रदान करेगा।

उत्पादकता वृद्धि में मृदा की उत्पादकता एवं इसमें पड़ने वाले उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषकों को अपने भूखंडों में किस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है; यह पता हो और उसी अनुरूप खाद –उर्वरक आदि का प्रयोग किया जाए। कई बार यह देखा गया है कि यूरिया सब्सिडी के कारण किसान भारी मात्रा में भूखंड पर इसका प्रयोग करते हैं, जबकि इसकी उतनी आवश्यकता भी नहीं होती। इस सभी चीजों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' कार्यक्रम के लिए 362 करोड़ रुपये आवंटित किए है जोकि वर्ष 2015–16 के लिए आवंटित की गई राशि 142 करोड़ से 155 प्रतिशत अधिक हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने लगभग 14 करोड़ किसानों को मार्च 2017 तक 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

जिस प्रकार लगातार पिछले दो वर्षों से सूखा पड़ रहा है ऐसे में हाल ही में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' आत्यंत महत्वपूर्ण है। और सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए वर्ष 2016–17 के लिए 5500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारतीय कृषि जिस प्रकार मानसून पर निर्भर है उससे इस योजना की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस योजना के द्वारा लगभग 50 प्रतिशत फसलीय क्षेत्र को बीमा के दायरे में लाने का उद्देश्य है। यह नई योजना पूर्ववर्ती योजनाओं (नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मोडिफाइड) से बेहतर है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अत्यंत ही कम प्रीमियम देना है। किसानों द्वारा वहन किया जाने वाले प्रीमियम का हिस्सा निम्नलिखित है:–

फसल	किसानों द्वारा देय प्रीमियम (बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में)
खरीफ	2.0 प्रतिशत
रबी	1.5 प्रतिशत
नगदी फसल एवं हॉर्टिकल्चर	5 प्रतिशत

इस नई योजना में पहली बार नगदी फसलों एवं हॉर्टिकल्चर को जोड़ा गया है। इतना ही नहीं बाकि के बचे प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और चूंकि सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है फलतः अब किसानों को नुकसान की स्थिति में पूरी बीमित राशि मिल सकेगी। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अन्य आकर्षक बिंदु यह है कि यदि बीमित किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है और उसे दावा राशि मिलेगी। दूसरा ओला, जलभराव और लैंड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। पूर्व की योजनाओं में जल–भराव की स्थिति में दावा राशि इस पर निर्भर करती थी कि यूनिट ऑफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुकसान कितना है। इस कारण कई बार जो खेत नदी या नाले के किनारे या निचले जगहों पर होते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था परंतु अब इसे स्थानीय आपदा मानने पर उन्हें दावा राशि मिल सकेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी शामिल किया गया है। अर्थात फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी। अतः इस महत्वपूर्ण योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5500 करोड़ की राशि जोकि प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार का हिस्सा होंगी, का आवंटन महत्वपूर्ण व स्वागत योग्य है।

हमने प्रारंभ में ही किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं पूंजी के अभाव की चर्चा की थी। बजट 2016 में इस समस्या का बखूबी संज्ञान लेते हुए किसानों हेतु ऋण के प्रवाह को 9 लाख करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है। वहीं किसानों की ऋण देनदारी को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने 15000 करोड़ की राशि ब्याज सहायता के रूप में आवंटित की है। जैसाकि हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारे बैंकों पर 'गैर निष्पादित परिसंपत्तियों' के बढ़ने का दबाव है और उसमें ठीकठाक योगदान कृषि क्षेत्रक का है परिणामतः बैंक कृषि क्षेत्र के तहत अनिवार्यता को पूर्ण करने मात्र के लिए ऋण देते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे किसान तो बैंकों तक पहुंच ही नहीं पाते और यदि एक बार बैंकों से ऋण लिया और वापसी में डिफॉल्ट हो गया तो दोबारा वह साहूकारों के चंगुल में फंसने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सरकार की 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को बीमित राशि मिलने के कारण वह ऋण वापसी में डिफॉल्ट से बच जाएंगे और फिर बजट में ऋण प्रवाह को बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धरित किया गया है और ब्याज में जो सहायता राशि दी गई है इन सबके सम्मिलित प्रयास से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी तथा ज्यादा से ज्यादा किसान सूदखोरों के चंगुल से बाहर निकल संगठित क्षेत्र वाले बैकिंग के दायरे में आएंगे जिससे कही न कही वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।

भारतीय कृषि में विपणन की भी बड़ी समस्या है। यह अत्यंत आवश्यक है कि किसानों को अपनी उपज देशभर में कहीं भी बेचने को मिलें लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय मंडी आधारित कृषि उपज विपणन समिति से जुड़े कानून में बदलाव की आवयश्यकता थी। और लगभग 12 राज्यों ने कानून में सुधार कर भी लिया है एवं बाकि राज्य भी इस दिशा में अग्रसर हैं, जिससे राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना संभव हो सकेगी। सरकार ने इस कार्यक्रम को 14 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

'राष्ट्रीय कृषि बाजार' के माध्यम से जहां बिचौलियों की संख्या कम होगी वहीं किसानों को पैदावार का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। बजट 2016 में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण भंडारण को बढ़ाने के लिए 788 करोड़ रु. का आवंटन भी किया गया है।

सतत् पोषणीय विकास की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के दो लाभ हैं। एक तरफ इससे लंबी अवधि तक मृदा की गुणवत्ता और उत्पादकता बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जैविक उत्पादन हमारे निर्यात को भी बल दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (TTIP) जैसे समझौते हो रहे हैं जो कहीं न कहीं भारत के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स को बढ़ाएंगे। अभी भी 2014 में यूरोपियन यूनियन ने हमारे आम को पेस्टिसाइड के अधिक स्तर होने के कारण प्रतिबंधित किया था। अतः जैविक कृषि के द्वारा हम इस प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर्स का बखूबी सामना कर पाएंगे। इसी को मध्यनजर रखते हुए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 250 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में जहां जैविक कृषि वर्तमान में सबसे अधिक हो रही है तथा वहां जैविक कृषि की संभावनाएं भी है। अतः इसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना हेतु वर्ष 2015–16 के बजट में 400 करोड़ का आवंटन किया गया था। जिसमें कि योजना का प्रारंम्भ वर्ष 2015–16 में 125 करोड़ के आवंटन से हुआ तथा वर्ष 2016–17 एवं 2017 –18 में बचे हुए 275 करोड़ रु. का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन हेतु भी बजट 2016 में 1062 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त सारे उपाय धारणीय कृषि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इन सबके साथ ही 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' जिसका प्रारंभ धान, गेहूं एवं दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किया गया था, उसके अंतर्गत बजट में ₹1700 करोड़ का आवंटन किया गया है। और विशेषकर जिस प्रकार विगत महीनों में देश में दाल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकों ध्यान में रखते हुए दाल के लिए 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तथा मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए 900 करोड़ रु. की राशि आवंटित हुई हैं। इस बार बजट में कृषि कल्याण के लिए और अधिक फंड जुटाने के उद्देश्य से सेवा करों पर 0.5 प्रतिशत का उपकर (सेस) 'कृषि कल्याण सेस' के नाम से लगाया गया है।

किसानों एवं कृषि की सबसे बड़ी समस्याओं में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और इसके लाभ के दायरे का संकीर्ण होना भी है।

हमारे यहां दो मुख्य संस्थाएं नेफेड एवं एफ.सी.आई के द्वारा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से पैदावार खरीदती है। परंतु स्थापना के 30 एवं 50 वर्ष होने के बाद भी इनकी पहुंच का दायरा सीमित है। NSSO के 70 वें दौर के सर्वेक्षणों के मुताबिक 2012 में केवल 2.57 मिलियन परिवारों को की धान की सरकारी खरीद का प्रत्यक्ष लाभ मिल पाया। इसके अलावा आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि सरकारी खरीद का मुख्य लाभ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब एवं मध्यप्रदेश गेहूं का 43 प्रतिशत उत्पादन करते हैं जबकि इनका सरकारी खरीद में 87 प्रतिशत योगदान है। अतः न्यूतम समर्थन मूल्य के निर्धारण से लेकर इसकी खरीद तक में समस्याएं हैं जिसे इस बार के बजट ने चरणबद्ध तरीके से ठीक करने की मंशा जाहिर की गई है।

इन सबके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर भारी–भरकम राशियां आवंटित की हैं, फिर चाहे वह ग्राम सड़क योजना हो, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना जिसमें 300 कलस्टर्स का विकास करना है। यह सभी परियोजनाएं परोक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े उद्योगो हेतु लाभप्रद सिद्ध होंगी।

बजट 2016–17 में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण को समर्पित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो समावेशी विकास को सुनिश्चित करेंगे।

(लेखक दृष्टि करंट अफेयर्स के संपादकमंडल में शामिल हैं। सामाजिक मुद्दों पर कई वाद–विवाद प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। सामाजिक–आर्थिक और सामाजिक–राजनीतिक विषयों पर पत्र–पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं।)
ई–मेलः jagannath.kashyap@gmail.com

किसान हित के लिए प्रतिबद्ध बजट

–डॉ. अनीता मोदी

कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए बजट में कृषि में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट की घोषणा की गई है। इस प्रावधान से भारतीय किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी तथा जीवन-स्तर में सुधार होगा तथा किसान भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होंगे। इन सब प्रावधानों को प्रभावी व ईमानदारी से क्रियान्वित करके ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। किसानों को उत्पादित फलों-सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सौ फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।

कृषि व पशुपालन का विकास करके ही ग्रामीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना संभव है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट 2016–17 में कृषि व पशुपालन क्षेत्र के पुनरुत्थान व किसानों की दशा को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन महत्वपूर्ण प्रावधानों के आधार पर बजट 2016–17 को कृषि विकास के दृष्टिकोण से क्रान्तिकारी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

गौरतलब है कि कृषि वित्त, भंडारण एवं विपणन की अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण अधिकांश लघु किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है जिसके कारण किसान के लिए परिवार का पेट पालना दुष्कर होता जा रहा है। अतः कृषि को विकास पथ पर अग्रसर करने, कृषकों की माली हालत सुधारने तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्वि करने हेतु बजट 2016–17 में 35984 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ज्ञातव्य है कि बजटीय आवंटन में वित्तमंत्री जी ने कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए देश के विकास में कृषि व पशुपालन विकास के महत्व को अंगीकार किया है।

बजट 2016–17 में कृषि क्षेत्र को लाभकारी, सुदृढ़ व मजबूत बनाने हेतु कृषि क्षेत्र को अधिक बजटीय आवंटन, ऋण व्यवस्था, फसल बीमा, विपणन व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, उर्वरकों की उपलब्धता तथा कृषि उत्पादन में अवस्थित समस्त बाधाओं का निवारण करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार कृषि को लाभकारी व कृषि से गैर–कृषि क्षेत्रों की तरफ कृषकों के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए श्री जेटली ने वर्ष 2022 तक पांच वर्षों में किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है।

कृषि व पशुपालन विकास में वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों को सही समय पर व उचित मात्रा में ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास बजट 2016–17 में किया गया है। वित्तमंत्री जी ने कृषि ऋण हेतु वर्तमान बजट में 9.0 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जबकि चालू वित्तवर्ष में 8.5 लाख करोड़ रुपये का

प्रावधान था। गौरतलब है कि वर्तमान बजट में कृषि ऋण हेतु 9.0 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान आज तक का उच्चतम स्तर है। ऐसा अनुमान है कि कृषकों को संस्थागत ऋण की सहज उपलब्धता होने पर वे कुछ हद तक महाजनों व साहूकारों के ऋण–जाल से मुक्त हो पाएंगे।

यही नहीं, भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं व कर्ज में ही मर जाते है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वित्तमंत्री जी ने किसानों को कृषि ऋण के बोझ से कुछ राहत देने का प्रयास किया है। इसके लिए बजट में ब्याज छूट के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि छोटे किसान कुछ सीमा तक गरीबी व ऋण के दुष्चक्र से मुक्त हो सकें।

बजट का सर्वाधिक सुखद पक्ष यह भी है कि रोजगार संवर्द्धन व गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना 'मनरेगा' के लिए अब तक का सबसे अधिक 38,500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके साथ ही वित्तमंत्री जी ने मनरेगा के तहत वर्षा वाले इलाकों में 5 लाख फार्म तालाबों, कुंओं के निर्माण का प्रावधान करके एक तरफ मनरेगा की 'उत्पादकता' व सार्थकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है तो दूसरी तरफ बढ़ते जल संकट व सिचाई की समस्या के समाधान की तरफ कदम बढ़ाए हैं। निश्चित तौर पर, मनरेगा के तहत कुंओं व तालाबों का निर्माण होने पर ग्रामीण क्षेत्र खुशहाली, सम्पन्नता व धारणक्षम विकास की दौड़ में समावेशित हो पाएंगे।

कृषि क्षेत्र इस समय दबाव में है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बजट में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत 'कृषि कल्याण' उपकर लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया ताकि उपकर से प्राप्त राजस्व को कृषि क्षेत्र में व्यय करके कृषि क्षेत्र को भी विकास का अभिन्न अंग बनाया जा सके।

"कृषि मानसून का जुआ है", कृषि पर सदैव खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। कृषिगत भूमि का दो तिहाई भाग 'मानसून का जुआ' होने के कारण सूखा, तूफान, बाढ़ व ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कहर किसानों पर मंडराता रहता है तथा इन अप्रत्याशित संकटों के कारण किसान 'ऋण जाल' में फंस जाते हैं। निराशाजनक तथ्य है कि ऋण जाल के दुष्चक्र में फंसे किसानों में आत्महत्या की घातक प्रवृत्ति बढ़ रही है जोकि देश में विकास के नाम पर कलंक है। अतः कृषकों को 'प्राकृतिक संकटों' से सुरक्षा कवच प्रदान करने हुए वित्तमंत्री ने एक नई फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बजट में पेश किया तथा इसके लिए 5500 करोड़ रुपये का आवंटन किया ताकि इस योजना का 2016–17 में प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इस योजना में यह प्रावधान किया गया कि फसल का 98 प्रतिशत प्रीमियम सरकार देगी तथा केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देने पर किसान को बाजार भाव पर खराब फसल का पूरा मुआवजा मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल बेकार हो जाने पर उसे उचित मुआवजा मिलेगा ताकि किसान 'आत्महत्या' जैसा घातक कदम उठाने को मजबूर ना हो।

सिंचाई कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वूपर्ण साधन है। कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध करने हेतु वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन के तौर पर कार्यान्वित और मजबूत किया जाएगा।" इस योजना के अन्तर्गत ₹17000 करोड़ खर्च करके 28.05 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। यही नहीं, बजट में नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के आरम्भिक कोष के साथ एक प्रतिबद्व दीर्घकालीन सिंचाई कोष बनाने का लक्ष्य रखा गया ताकि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो सके जिससे कृषि की मानसून पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही, कृषि में जोखिम पर भी कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। यही नहीं, बजट में बंद पड़ी 89 सिंचाई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश में सिंचित क्षेत्र का विस्तार हो सकें।

भूमिगत जल के अंधाधुंध एवं अनियंत्रित दोहन के फलस्वरूप देश के भू–जल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्वि, उच्च उत्पादकता वाली फसलों को प्राथमिकता तथा जीवन–स्तर में हो रहे सुधार के कारण जल की खपत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सतही जल की अपर्याप्तता के कारण भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ रही है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का 90 प्रतिशत भाग तथा सिंचाई का 40 प्रतिशत भाग भू–जल से ही प्राप्त हो रहा है। भूमिगत जल के उपयोग में अनियंत्रित वृद्वि होने की वजह से ही भूमिगत जल का स्तर खतरनाक सीमा तक नीचे चला गया है, जिसके दुष्परिणाम सम्पूर्ण देश को झेलने पड़ रहे है। देश में नलकूपों, हैण्डपम्पों व बोरिंगो की बढ़ती संख्या भू–जल के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रही है। भू–जल पर मंडराते संकट के बादलों को दूर करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भूजल संसाधन प्रबंधन का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

किसान को अपनी मेहनत से उगाई गई फसल पर पूरा मूल्य सही समय पर मिल सके, इस तथ्य को साकार रूप प्रदान करने हेतु बजट में 'एकीकृत मंडी योजना' का प्रावधान किया गया है जोकि निसंदेह तौर पर, कृषि क्षेत्र में क्रांति की तरफ पहल है। इसके साथ ही बजट में किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की

कोशिश भी की गई है ताकि किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर अपनी फसल की सही कीमत प्राप्त करने के हकदार हो। गौरतलब है कि देश के अधिकांश छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े हुए हैं। गरीबी तथा ऋणग्रस्तता के कारण ये छोटे किसान अपनी उपज को शीघ्र ही कम कीमतों पर बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य हैं। इन बिचौलियों के जाल से किसान को मुक्त करवाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार लाने के दृष्टिकोण से "एकीकृत मंडी योजना" महत्वपूर्ण है। बजट में 2.5 लाख गांवों को 2019 तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने की योजना है, जिससे किसान भी वैश्विक बाजार, घरेलू बाजार, विभिन्न जिंसों के बाजार भाव व कृषि योजना व कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को शीघ्र प्राप्त कर सकें।

बजट में कृषि उत्पादों की 'ऑन लाईन ट्रेडिंग' का प्रावधान करके कृषि क्षेत्र में आय संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाईन खरीद–बिक्री का ज्ञान कृषि उत्पादन में क्रांति ला सकता है। बजट में 14 अप्रैल से एकीकृत कृषि विपणन ई–मंच को प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसके तहत 12 राज्यों की कृषि मंडियों को ई–पोर्टल के जरिये जोड़ा जाएगा ताकि किसान देश भर में कहीं भी अपना माल बेचकर फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इससे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दृष्टिगोचर होंगे।

बजट में 2019 तक देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने तथा वर्ष 2018 तक सभी गांवों को बिजली की रोशनी से आलौकित करने का प्रावधान रखा गया। बिजली और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता कृषि के विकास हेतु आवश्यक है तथा इससे किसान वर्ग लाभान्वित होगा।

देश के प्रधानमंत्री ने भी बजट को गांव, गरीब और किसान समर्थक बताते हुए कहा है कि बजट ने समयबद्ध तरीके से गरीबी उन्मूलन का खाका पेश किया है। सर्वविदित तथ्य है कि कृषि व गरीबी का चोली–दामन का संबंध है। कृषि विकास होने पर गरीबी की विकरालता स्वतः ही कम हो जाएगी।

कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी की सेहत में सुधार जरूरी है। इस हेतु बजट में "मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम" को प्रभावी बनाने तथा मार्च 2017 तक 14 करोड़ जोतों की मिट्टी की सेहत जांचने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों का लाभ बढ़ सके। खेती हेतु उर्वरकों की समय पर व सही कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में शहर के कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए नई नीति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उर्वरक कंपनियों के 2000 मॉडल खुदरा बिक्री के लिए तीन साल में उन्नत बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है।

विश्व में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री जी ने जैविक खेती को प्राथमिकता प्रदान की है। बजट में "परम्परागत कृषि विकास योजना" के माध्यम से 3 साल में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। दालों की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए बजट में दालों का उत्पादन बढ़ाने व इसके विपणन व्यवस्था में सुधार करने हेतु प्रावधान किया गया है। 622 जिलों में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाई जाएगी तथा इसके साथ ही बजट में 500 करोड़ रुपये दालों की विपणन व्यवस्था को मजबूत करने व खेती को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किए गए हैं।

बजट में किसानों की पारिवारिक आय को बढ़ाने का संकल्प जताया गया। इस हेतु कृषि के साथ पशुपालन व डेयरी उद्योग के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। 'पशुपालक' भी ग्रामीण विकास व कृषकों की आय बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बजट में पशुओं के स्वास्थ्य को संरक्षित व सुधारने के दृष्टिकोण से पशुधन संजीवनी परियोजना का प्रावधान रखा गया। इस परियोजना के तहत प्रत्येक पशु का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। और इसे नकुल स्वास्थ्य पत्र के नाम से जाना जाएगा। डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए चार नई परियोजनाएं शुरु की जाएंगी।

इसी क्रम में उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत पशुओं की नस्ल को सुधारने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। कृषि की भांति 'ई–पशुधन हाट' परियोजना का प्रावधान बजट में रखा गया है ताकि पशुपालकों को इसका फायदा मिल सके। बजट में किसानों की पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए चौथी परियोजना 'राष्ट्रीय जेनोमिक केन्द्र' का प्रावधान किया गया है। इन चारों परियोजनाओं पर 850 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट रखा गया है।

"खाद्य सुरक्षा का मूलमंत्र कृषि में ही सन्निहित है", इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विकास, कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में गतिहीनता की स्थिति को दूर करने के लिए घोषित विविध योजनाओं व नीतियों का प्रभावी, सफल व ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। जैविक खेती, शुष्क खेती, जल सरंक्षण, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार लाने व विस्तार को अधिक प्राथमिकता प्रदान करके कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में सार्थक प्रयास अपेक्षित हैं। किसानों का खेती के प्रति रुझान व प्रेरणा को बनाए रखने के लिए व खेती को लाभप्रद व आकर्षक बनाए रखने के लिए बजट में घोषित प्रयास व योजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है।

(प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय, खेतडी, झूंझनूं, राजस्थान।)
ई–मेलः anita3modi@gmail.com

पंचायतों के समक्ष 'सपनों का गांव' बनाने की चुनौती

—अरुण तिवारी

24 अप्रैल, 2016 को जब 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाएगा, तब हमारी हर ग्राम पंचायत के हाथों में औसतन 80 लाख रुपये का वार्षिक आवंटन होगा और सामने होगी आवंटित धनराशि का सही उपयोग करके अपने 'सपनों का गांव' बनाने की चुनौती। निसंदेह, चुनौती भी बड़ी है और आवंटन भी बड़ा। पिछले आवंटन की तुलना में 228 फीसदी अधिक होने के कारण यह आवंटन निसंदेह विशेष है। यह विशेष आवंटन, निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों को अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करने की थोड़ी और आज़ादी देगा; थोड़े और हाथ खोलेगा।

वित्तवर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों हेतु 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट घोषणा के अनुसार, इस आंवटन में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन 80 लाख रुपये और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को औसतन 21 करोड़ रुपये मिलेंगे। गत पांच वर्षों के दौरान किए गए आवंटन की तुलना में 228 फीसदी अधिक होने के कारण यह आवंटन, निसंदेह से विशेष है। यह विशेष आवंटन, निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों को अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करने की थोड़ी और आज़ादी देगा; थोड़े और हाथ खोलेगा। 14वें वित्त आयोग ने भी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए आर्थिक आज़ादी चाही थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी।

अधिक आवंटन : अधिक आर्थिक आज़ादी

दरअसल, सरकार किसी भी स्तर की हो, सुराज यानी अच्छे अभिशासन (गुड गवर्नेंस) का रास्ता 'स्वराज्य' और 'स्वराज' से होकर ही गुजरता है। 'स्वराज्य' यानी अपना राज और 'स्वराज' यानी अपने ऊपर खुद का राज यानी स्वानुशासन। 'स्वराज्य' और 'स्वराज' को हासिल किए बगैर, सुराज हासिल करना सर्वथा असंभव होता है। इसे यूं समझें कि अच्छे अभिशासन के लिए सबसे पहली जरूरत होती है–स्वराज्य यानी आज़ादी की। इसी की चर्चा करते हुए महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम वसीयत (29 जनवरी, 1948) में लिखा था कि जब तक इन सात लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक भारत की आज़ादी अधूरी है। गांधी जी गांवों की आज़ादी के अपने सपने की पूर्ति के लिए पंचायतों को ही माध्यम बनाना चाहते थे।

गांधी जी के सपने की ग्रामीण आर्थिक आज़ादी का आर्थिक स्रोत भले ही पंचायतों

को केन्द्रीय आवंटन न रहा हो, फिर भी हम इसे भारत के केन्द्र में बैठी 'पहली सरकार' द्वारा गांवों में मौजूद 'तीसरी सरकार' को आर्थिक आज़ादी देने की एक कवायद तो मान ही सकते हैं। क्यों नहीं? आखिरकार, संविधान ने भी पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों को 'सेल्फ गवर्मेंट' यानी 'अपनी सरकार' कहकर संबोधित किया है।

स्वानुशासन बगैर सुराज नहीं देती आर्थिक आज़ादी

पंचायतों और स्थानीय निकायों को हासिल होती आर्थिक आज़ादी गांवों और छोटे नगरों में सुराज ला पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय 'स्वराज' यानी स्वानुशासन के लिए किस हद तक संकल्पित हैं। स्वानुशासन के बिना यह आर्थिक आज़ादी सुराज की बजाय, कुराज लाने वाली भी साबित हो सकती है। जैसे ज्यादा जेबखर्च, ज्यादा सुविधाएं मिलने से विद्यार्थी उम्र के बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। उसी तरह स्वानुशासन का अभाव हो, तो अधिक आवंटन होने से पंचायत प्रतिनिधियों के अधिक भ्रष्ट हो जाने की संभावना भी कम नहीं है। प्रमाण के तौर पर यह भूलने की बात भी नहीं है कि स्वानुशासन में कमी के कारण ही हमारी सरकारों की बनाई अच्छी से अच्छी योजना भी भ्रष्टाचार की शिकार होती रही है। स्वानुशासन की कमी के कारण ही 'मनरेगा' के तहत् आवंटित धनराशि, पंचायत व प्रशासन ही नहीं, गांव के अंतिम जन तक को भ्रष्ट बनाने वाली साबित हुई है।

इस वित्तवर्ष में आवंटित धनराशि का परिणाम ऐसा न हो; यह सचमुच एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार के केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपनी बजट घोषणा में इस चुनौती को इस सैद्धांतिक विश्वास के रूप में भी प्रकट किया है कि सरकार के पास जो पैसा है, वह जनता का है और हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम इसे अपने लोगों, विशेषकर निर्धन और दलितों के कल्याण के लिए विवेक और समझदारी से खर्च करें। तीसरी चुनौती के रूप में आप पंचायती कामकाज में 'पारदर्शिता' की कमी कह सकते हैं। यदि इन चुनौतियों में उचित नीयत और उचित नीतियों के अभाव को शामिल कर लिया जाए, तो 'न्यूनतम सरकार–अधिकतम अभिशासन' (मिनिमम गवर्नमेंट : मैक्सिमम गवर्नेन्स) के मार्ग की सबसे अधिक बाधाएं यही हैं। यही बाधाएं, सरकारी धन को निर्धनों और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में असल अड़चनें हैं। इन्हीं बाधाओं के कारण, वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता का लक्ष्यबद्ध संवितरण सुनिश्चित नहीं हो पाता।

सुधार के प्रस्तावित कदम

इन बाधाओं से निपटने की दृष्टि से अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री श्री जेटली ने प्रक्रियागत सुधारों तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सरकारी प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने का विचार प्रस्तुत किया है। इन सुधारों को 'न्यूनतम सरकार : अधिकतम अभिशासन' का अति महत्वपूर्ण घटक बताते हुए श्री जेटली ने दो महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत किए हैं : आधार मंच और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।

पात्रता व वितरण में पारदर्शिता हेतु 'आधार' मंच

प्रथम कदम के रूप में श्री जेटली ने ऐसे महत्वपूर्ण सुधार करने की बात कही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी लाभ उन्हीं को मिले, जो उसके पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 'आधार' मंच को सांविधिक समर्थन देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए बजट सत्र में विधेयक भी लाया गया। श्री जेटली ने इस विधेयक को गरीब व कमजोर के लाभ का कानून व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला परिवर्तनकारी कानून घोषित किया है।

श्री जेटली का विश्वास है कि 'आधार' को सब्सिडी वाली योजनाओं से संबद्ध करने से पारदर्शिता आएगी और योजनाओं में भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिलेगी। 'ट्रांसफार्म इण्डिया' का बजट एजेंडा पूरा होगा। इसी दृष्टि से एलपीजी गैस की तर्ज पर उन्होंने प्रायोगिक रूप में रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को 'आधार' कार्ड व बैंक खातों से जोड़ने की बात कही है। भारत की 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से तीन लाख उचित दर दुकानों को मार्च, 2017 से स्वचालन सुविधाएं प्रदान करने को भी इसी दिशा में प्रस्तावित कदम माना जा रहा है।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 'आधार' की अनिवार्यता पर रोक लगाई है, किंतु 'आधार' प्रणाली के सब्सिडी जोड़ के कारण आधार कार्ड एक तरह से हर ग्रामवासी की मजबूरी ही हो जाएगा। आधार से जुड़ी सूचनाओं की साइबर सुरक्षा करने में हम कितने सक्षम हैं? यह एक अलग प्रश्न है। गौर करने की बात है कि एक सर्वे के मुताबिक गांवों की वोटर सूची में 15 प्रतिशत और राशन कार्डों में करीब 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो अपने पैतृक पते पर नहीं रहते। निसंदेह, 'आधार' कार्ड के सब्सिडी जोड़ के कारण, ऐसे लोगों की न सिर्फ पहचान संभव होगी, बल्कि अपात्रता के बावजूद लाभ लेने की उनकी प्रवृत्ति पर कुछ लगाम संभव होगी।

पंचायती प्रशिक्षण व क्षमता विकास को 655 करोड़

गौरतलब है कि हमारे पंचायती राज संस्थान की एक भूमिका केन्द्र और राज्य प्रायोजित ग्राम्य योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में है। इन योजनाओं में आवंटित धन के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए विवेक, समझदारी, पारदर्शिता के अलावा उचित कौशल,

अच्छी क्रियान्वयन सक्षमता और जानकारी की जरूरत भी कम नहीं। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस बजट में 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' की घोषणा की गई है। इस अभियान के लिए 655 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया गया है। यह अभियान अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। जानकारी के मुताबिक, केन्द्र सरकार का पंचायती राज विभाग शीघ्र ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' का रूप–स्वरूप व दिशा–निर्देश तय करेगा। इस दृष्टि से इस अभियान का विश्लेषण भले ही संभव न हो, किंतु इतना स्पष्ट है कि इस अभियान का लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं की अभिशासन (गर्वनेंस) क्षमता का विकास करना है। प्रशिक्षण प्रक्रिया का सातत्य और पंचायत घरों की ढांचागत बेहतरी इसमें स्वयं ही शामिल है।

स्वराज योजना के आकलन पर अभियान की नींव

यदि पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' के आलोक में निगाह डालें, तो कहना न होगा कि पंचायती राज प्रणाली के सशक्तीकरण में 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' को अत्यंत अहम् भूमिका अदा करनी है। हालांकि न यह अभियान नया है न इसका लक्ष्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान पेश 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम' का लक्ष्य भी ग्रामसभा को पंचायती राज की बुनियाद को उभारने का था। बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना में ग्रामसभा की भूमिका सबसे प्रभावी बनाने की बात थी। उस योजना की भी मंशा थी कि पंचायतों को 'अपनी सरकार' के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया जाए। केन्द्र और राज्य के बीच में कोष अनुपात 75:25 तय किया गया था। प्रशिक्षण के 55 बिंदु भी तय थे।

मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि 'ग्राम संसाधन केन्द्र' और 'जन सहायता केन्द्र' की अवधारणा को ज़मीन पर उतारने का सुंदर सपना भी 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' में शामिल था। उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़ के भयहरणनाथ धाम पर मैंने गांववासियों द्वारा 'जन सहायता केन्द्र' के सफल संचालन की चर्चा अवश्य सुनी है, किंतु पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' अपने मकसद में कितनी सफल रही? क्या कमियां रही कि वर्तमान वित्तवर्ष में उसे पुर्नसंरचित करने की आवश्यकता महसूस की गई? यह आकलन का भी विषय है और नूतन 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' की रूपरेखा तैयार करने से पहले चिंतन और मंथन का भी।

तीसरी सरकार पर बढ़ा दारोमदार

आगे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि पंचायती क्षमता विकास नूतन अभियान, किन मानकों और संकल्पों के साथ अपने दिशा–निर्देशों को अंजाम देगा। महत्वपूर्ण यह भी होगा कि खासकर, पंचायत प्रतिनिधि और हमारी ग्रामसभाएं इस अभियान और बजट का सदुपयोग करने के लिए स्वयं को कितना सतर्क, संवेदनशील और सक्षम बनाने की अभिलाषी होंगी।

यदि हम वर्तमान वित्तवर्ष 2016–17 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र हेतु वित्तीय आवंटन के उक्त आंकड़ों, योजनाओं और लक्ष्यों को सामने रखें, तो एक बात तो साफ है कि कमी धन की नहीं, गांव विकास के लिए असल धुन की है। यह धुन खेती–किसानी और ग्राम विकास से संबद्ध अकेले प्रशासनिक तंत्र के बूते नहीं बजाई जा सकती; ग्रामसभा और चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपनी भूमिका के लिए जागना होगा; सक्षम बनना होगा।

आज भारत में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 28 लाख, 18 हज़ार, 290 है। यह दुनिया में किसी भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या से बड़ा आकड़ा है। इस आंकड़े का सम्मान करते हुए ग्राम–स्तर की 'तीसरी सरकार' को समझना होगा कि 'पहली सरकार' ने उसे संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं और धन भी; बावजूद इसके यदि हम 'तीसरी सरकार', अपने गांव के विकास की योजना खुद न बनाएं, अपने साझा संसाधनों की रखवाली खुद न करें और फिर अपनी हालत के लिए व्यवस्था का रोना रोएं, तो यह कहां तक उचित है? कहना न होगा कि बढ़े हुए वित्तीय आवंटन की अच्छाई–बुराई सुनिश्चित करने का दारोमदार फिलहाल 2,39,491 ग्रामसभाओं पर आ टिका है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुसार, ग्राम–स्तर की असली सरकार तो 'ग्रामसभा' ही है, पंचायत तो 'ग्रामसभा' द्वारा चुना हुआ एक मंत्रिमण्डल मात्र है।

पूर्व संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

गौर करें, तो पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' को पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु राज्यों को मदद करना था। तय कार्ययोजना में तीनों स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा पंचायती राज से संबद्ध सभी स्तर की स्थायी समितियों व अधिकारियों का प्रशिक्षण, क्षमता विकास व सतत् संवाद भी शामिल था। पंचायत से जुड़े सचिवालय व तकनीकी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की बात थी। मीडिया, राजनैतिक दलों, सांसदों, विधायकों, नागरिक संगठनों तथा नागरिकों को इस मसले पर संवेदनशील बनाना भी इस कार्ययोजना का हिस्सा था। कार्ययोजना थी कि ग्रामसभा सदस्यों को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिनिधियों और पहली बार पंचायत प्रतिनिधि बने व्यक्तियों को चुने जाने के तीन माह के भीतर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुनिश्चित किया गया था कि प्रशिक्षण को सांस्कृतिक परम्पराओं तथा आदिवासी जरूरतों के हिसाब से आकार दिया जाए। चुनाव से

पहले और बाद के समय में प्रशिक्षण आयोजित हों। बुनियादी प्रशिक्षण एक साल के भीतर सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया जाए। जिन्हें आवश्यकता हो, उनके लिए चुनाव के तुरंत बाद कार्य साक्षरता प्रशिक्षण चलाया जाये। प्रशिक्षण व संवाद को कोई कार्यक्रम न मानकर, एक सतत् प्रक्रिया माना जाए। इसके लिए राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर तक समुदाय आधारित संगठनों को भी जोड़ने के लिए प्रदेश सरकारों को स्वतंत्रता हासिल थी।

पूर्व संचालित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' में स्पष्ट निर्देश था कि प्रशिक्षणों का विश्लेषण होता रहे। ग्राम स्वराज के जरिए पुराना स्वराज, धर्मनिरपेक्षता, समानता और मानवाधिकार सिद्धांत और उनके संवैधानिक पहलू, लिंग समानता, सामाजिक न्याय, मानव विकास की स्थिति, गरीबी उन्मूलन, नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में भागीदारी, सूचना और पारदर्शिता की भूमिका, सामाजिक अंकेक्षण और पंचायती राज के नियम और कानूनों को पूरे भारत में संचालित पंचायती प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। गांव विकास की योजना कैसे बनाए ? जन भागीदारी व सकरात्मक सोच को आगे रखते हुए गांव की स्थानीय समस्याओं का निदान खुद अपने स्तर पर कैसे करें? विकास जरूरतों के प्रति जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें? ग्राम नियोजन में विशेषकर गरीब की भागीदारी हेतु जगह कैसे बने? इस पर जोर देने की बात थी। स्थानीय जरूरत और तथ्यों के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्व–संसाधन प्रबंधन और लेखा के साथ–साथ वित्त प्रबंधन की समझ विकसित करने को भी उस योजना में महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर लिया गया था। मानव जरूरतों के प्रति आंचलिक सोच की दृष्टि से आमने–सामने प्रशिक्षण के अलावा, रेडियो, फिल्म, कैसेट, समाचार पत्र–पत्रिकाओं का उपयोग करने का निर्देश था। 'सूचना का अधिकार' तथा 'सामाजिक अंकेक्षण' के जरिए लाभार्थियों द्वारा अपने लाभ के लिए लाई गई योजनाओं की खुद निगरानी हेतु जननिगरानी का सक्षम तंत्र विकसित करना भी 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना' का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। देखना है कि प्रस्तावित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' पूर्व योजना से किस मायने में कितना भिन्न और कितना बेहतर होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 13 से अधिक पुस्तकों का संपादन/लेखन। समाचार–पत्रों एवं सामाजिक पत्रिकाओं के लिए पानी–प्रकृति, ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक मसलों पर नियमित लेखन)
ई–मेल: amethiarun@gmail.com

जरूरी है समष्टिगत स्वास्थ्य बीमा योजना

—आशुतोष कुमार सिंह

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के लिए सरकार ने इस बजट में एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है जो प्रति परिवार एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। वहीं घर के बुजुर्ग को 30 हजार रुपये का अतिरिक्त कवर दिया जाएगा। यानी बीपीएल श्रेणी के परिवारों के बुजुर्ग को एक लाख तीस हजार रुपये तक की कवरेज मिलेगी।

2016–17 के बजटीय भाषण के वक्त वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जब देश के स्वास्थ्य के हिस्से की चर्चा करनी शुरू की तब संसद में मेज थपथपाने की आवाज कुछ ज्यादा ही तीव्र थी। कारण स्पष्ट था। इस बार सरकार स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चौकस थी। देश के स्वास्थ्य की चिंता इस बजट में साफतौर पर दिखी।

नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जब वित्तमंत्री ने घोषणा की तो इसकी तारीफ चारों ओर हुई। इस मौके पर वित्तमंत्री ने देश के गरीब व उसकी गरीबी को रेखांकित करते हुए चिंता जताई कि परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालती है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी जो प्रति परिवार एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी। वहीं घर के बुजुर्ग को 30 हजार रुपये का अतिरिक्त कवर मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार के घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे एक लाख 30 हजार रुपये तक की कवरेज मिलेगी। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी.नड्डा ने कहा, 'बजट 2016–17 एक दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट है, जिसमें ग्रामीणों, किसानों, युवाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है। बजट से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को भी पूरा फायदा पहुंचेगा। बजट से देश के विकास को गति मिलेगी।' स्वास्थ्य मंत्री ने बुजुर्गों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य कवरेज की तारीफ करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से पूरे परिवार को और खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के सामाजिक पक्ष पर बात करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करना जरूरी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जरूरत क्यों? – कोई भी सरकार जब कोई योजना लेकर आती है तो उस योजना से संबंधित सभी पक्षों पर विचार–विमर्श जरूर करती है। उसकी जरूरत को लेकर उठने वाले हर संभव सवालों का जवाब ढूंढ़ने का प्रयास करती है। इसी तरह जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर चर्चा की जाती है तो कुछ मानकों को तय करना पड़ता है। मसलन देश के कार्यबल की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक उपस्थिति आदि।

इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए यदि भारत की बात की जाए तो यहां के कार्यबल

की कुल संख्या में लगभग 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। अधिकांश कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक बड़ी असुरक्षा उनका बार–बार बीमार पड़ना तथा उक्त कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सकीय देखभाल है। आज बेशक अपने देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हों लेकिन उनका विस्तार इतना नहीं हुआ है कि उससे इन असंगठित कामगारों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। इस स्थिति से निपटने के लिए ही स्वास्थ्य बीमा योजना की परिकल्पना की गई है। यह योजना एक तरह से निर्धन परिवारों को उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा देने का माध्यम है।

2008 में रिसर्च एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग व भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य बजट का 72 प्रतिशत दवाइयों पर खर्च करते हैं। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया था कि महंगी दवाइयों के कारण प्रत्येक वर्ष भारत की 3 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से उबर नहीं पाती। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की लगभग 4 करोड़ आबादी प्रत्येक वर्ष इसलिए गरीब रह जा रही है, क्योंकि उसके पास महंगी दवाइयां खरीदने की आर्थिक ताकत नहीं है। ऐसी स्थिति में गरीबों को दिए जाने वाला स्वास्थ्य कवरेज गरीबी को कम करने का एक ताकतवर साधन भी सिद्ध होगा, ऐसा समीक्षकों का मानना है।

स्वास्थ्य बीमा योजना का सामाजिक पक्ष – स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़ाए जाने को सामाजिक विश्लेषक कई मायनों में सार्थक कदम मान रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों के लिए अलग से 30 हजार का टॉपअप दिए जाने से आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कम होगी। ग्रामीण अंचलों में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि गरीब परिवार के लोग पैसे के अभाव में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इससे उन्हें अपने बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जिसका सकारात्मक असर उनके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। परिवार की उत्पादन शक्ति में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी जोकि उन्हें गरीबी रेखा से निकालने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की पृष्ठभूमि – भारत की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी। लेकिन इस योजना को धरातल पर लाने में पूर्ववर्ती सरकारें सफल नहीं हो पायीं। आंकड़ों की माने तो 31 अगस्त, 2015 तक इस योजना के अंतर्गत 40,430,289 स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं जबकि 10,630,269 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। इसी सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने बीपीएल परिवार को एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय किया है।

कौन होगा लाभान्वित – असंगठित क्षेत्र के कामगार, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, और उनके परिवार के सदस्य को योजना के तहत लाभ मिलेंगे। लाभार्थियों को पहचान के उद्देश्य के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।

नामांकन प्रक्रिया – बीमाकर्ता को पूर्व निर्दिष्ट डाटा फॉर्मेट का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र परिवारों की एक इलेक्ट्रॉनिक सूची दी जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा तिथि सहित प्रत्येक गांव के लिए एक नामांकन सूची बनाई जाएगी, जिसमें जिला–स्तरीय अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। इस सूची के अनुसार नामांकन से पहले प्रत्येक गांव के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची नामांकन केन्द्र तथा प्रमुख स्थानों में लगाई जाएगी तथा गांव में नामांकन की तिथि और स्थान का प्रचार पहले से किया जाएगा।

स्मार्ट कार्ड – स्मार्ट कार्ड अनेक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोगी के बारे में तस्वीर और अंगुलियों के छापे के माध्यम से लाभार्थी की पहचान। स्मार्ट कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद रहित (कैश लेश) लेन–देन की सक्षमता मिलती है, और ये लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा से बढ़ेगी देश की उत्पादन शक्ति – नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति को तीव्रता प्रदान करता है। इतिहास गवाह रहा है कि जिस देश के लोग ज्यादा स्वस्थ रहे हैं, वहां की उत्पादन शक्ति बेहतर रही है। और किसी भी विकासशील देश के लिए अपनी उत्पादन शक्ति को सकारात्मक बनाए रखना ही उसकी विकसित देश की ओर बढ़ने की पहली शर्त है। ऐसे में भारत को पूरी तरह कैसे स्वस्थ बनाया जाए, यह एक अहम् प्रश्न है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे दी जाए, आज भी एक यक्ष प्रश्न है। ऐसे में एक स्वास्थ्य चिंतक होने के नाते कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मैं चिंतन–मनन करता रहा हूं। हमें लगता है कि सरकार इन सुझाओं पर ध्यान दे तो इस दिशा में और बेहतर परिणाम आ सकते हैं।

सबको मिले स्वास्थ्य सुरक्षा – भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहां की सरकार जनपक्षीय है। यहां पर जो भी नीति बनती–बिगड़ती है उसका सरोकार जनता से ही होता है। स्वास्थ्य नीतियों को बनाते समय भी सरकारों का ध्येय जनता का स्वास्थ्य अर्थात् राष्ट्र का स्वास्थ्य ही रहा है। लेकिन जाने–अनजाने में भारत के स्वास्थ्य को समग्र रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे लाया जाए, इस पर व्यापक नीति सामने नहीं आ पाई है।

भारतीय शुरू से ही अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहे हैं, उनकी समझ भी बेहतर रही है, जो कालांतर में आकर गुलामी की वजह से अपनी ज्ञान–परंपरा से विमुख होते गए। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, जिसका तीव्र विकास पिछले 5–6 दशकों में हुआ है, के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरफ तो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, तो दूसरी तरफ इसके दुष्परिणामों ने बीमारियों में नई–नई प्रजातियों को पनपने का मौका दिया है! ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खुद को स्वस्थ रख पाना एक चुनौती के समान है। ऐसे में आर्थिक रूप से गैर–बराबरी जहां पर ज्यादा हो, वहां पर नई चिकित्सा पद्धति के तहत खुद के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाना अब आसान नहीं रह गया है। ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए वृहद सरकारी नीति बनाने की जरूरत है। ऐसे उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोई बीमार ही न पड़े। इस दिशा में इस बार के बजट में दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार ने पहल भी की है। एक तो बीपीएल श्रेणी की महिलाओं के नाम से एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9 हजार करोड़ का बजट। यह दोनों ही योजनाएं स्वस्थ बने रहने में सहायक हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बीमारी व बीमारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे सामाजिक गैर–बराबरी बढ़ रही है। इस स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है। इस संदर्भ में खासतौर से बीमा योजना को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दे रहा हूं।

नकदी रहित (कैशलेश) स्वास्थ्य व्यवस्था की परिकल्पना – मेरी समझ से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नागरिकों की उम्र के हिसाब से तीन भागों में विभक्त करना चाहिए। 0–25 वर्ष तक, 26–60 वर्ष तक और 60 से मृत्युपर्यन्त। शुरू के 25 वर्ष और 60 वर्ष के बाद के नागरिकों के स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था निःशुल्क सरकार को करनी चाहिए। जहां तक 26–60 वर्ष तक के नागरिकों के स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इन नागरिकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाना चाहिए। जो कमा रहे हैं, उनसे बीमा राशि का प्रीमियम भरवाना चाहिए और जो बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी मिलने तक उनका प्रीमियम सरकार को भरना चाहिए।

सुझाव के पीछे क्या हैं तर्क – शुरू के 25 वर्ष नागरिकों को उत्पादक योग्य बनाने का समय है। ऐसे में अगर देश का नागरिक आर्थिक कारणों से खुद को स्वस्थ रखने में नाकाम होता है तो निश्चित रूप से हम जिस उत्पादक शक्ति अथवा मानव संसाधन का निर्माण कर रहे हैं, उसकी नींव कमजोर हो जाएगी और कमजोर नींव पर मजबूत इमारत खड़ी करना संभव नहीं होता। किसी भी लोक–कल्याणकारी राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वह अपनी उत्पादन शक्ति को मजबूत करे।

अब बारी आती है 26–60 साल के नागरिकों पर ध्यान देने की। इस उम्र के नागरिक सामान्यतः कामकाजी होते हैं और देश के विकास में किसी न किसी रूप से उत्पादन शक्ति बनकर सहयोग कर रहे होते हैं। चाहे वे किसान के रूप में, जवान के रूप में अथवा किसी व्यवसायी के रूप में हों, कुछ न कुछ उत्पादन कर ही रहे होते हैं। जब हमारी नींव मजबूत रहेगी तो निश्चित ही इस उम्र में उत्पादन शक्तियां मजबूत इमारत बनाने में सक्षम व सफल रहेंगी और अपनी उत्पादकता का शत्–प्रतिशत देशहित में अर्पण कर पाएंगी। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इनकी कमाई से न्यूनतम राशि लेकर इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाने की जरूरत है। जिससे उन्हें बीमार होने की सूरत में इलाज के नाम पर अलग से एक रुपया भी खर्च न करना पड़े।

अब बात करते हैं देश की सेवा कर चुके और बुढ़ापे की ओर अग्रसर 60 वर्ष की आयु पार कर चुके नागरिकों के स्वास्थ्य की। इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार को पूरी तरह उठानी चाहिए। और इन्हें खुशहाल और स्वस्थ जीवनयापन के लिए प्रत्येक गांव में एक बुजुर्ग निवास भी खोलना चाहिए जहां पर गांव भर के बुजुर्ग एक साथ मिलजुल कर रह सकें और गांव के विकास में सहयोग भी दे सकें।

आदर्श स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु अन्य सुझाव

प्रत्येक गांव में सार्वजनिक शौचालय हो; खेलने योग्य खेल का मैदान हो; प्रत्येक स्कूल में योग शिक्षक के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षक की बहाली हो; प्रत्येक गांव में सरकारी फार्मासिस्ट की दुकान की व्यवस्था हो, जहां लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकें; सभी कच्ची–पक्की सड़कों के बगल में पीपल व नीम के पेड़ लगाने की व्यवस्था के साथ–साथ हर घर–आंगन में तुलसी का पौधा लगाने हेतु नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए।

निष्कर्ष – उपरोक्त बातों का सार यह है कि स्वास्थ्य के नाम पर किसी भी स्थिति में नागरिकों पर आर्थिक दबाव नहीं आना चाहिए। और इसके लिए यह जरूरी है कि देश में पूर्णरूपेण नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि उपरोक्त ढ़ांचागत व्यवस्था को हम नियोजित तरीके से लागू करने में सफल रहे तो निश्चित ही हम 'स्वस्थ भारत, विकसित भारत' का सपना पूर्ण कर पाएंगे।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े हैं। सामाजिक मुद्दों और स्वास्थ्य पर लिखते रहते हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं।)

ई–मेलः forhealthyindia@gmail.com

साकार होगा डिजिटल इंडिया का सपना

–आलोक कुमार

केंद्रीय बजट 2016–17 किसानोन्मुखी है लेकिन राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को गति देना इसके अंतर्निहित कारक में शामिल है। इसके तहत आने वाले तीन वर्ष में छह करोड़ घरों के ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ देने का लक्ष्य हासिल करना है। इसे पाने के लिए बजटीय सावधानों से वृहद् डिजिटल संरचना का निर्माण करना है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करने के काम को गति देनी है। डिजिटल इंडिया के वांछित लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में रोजगार की अपार संभावना पैदा होने की उम्मीद जाहिर की गई है।

बजट 2016–17 में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को गति देने का लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को डिजिटल साक्षरता देना है ताकि देश का हर नागरिक डिजिटल दुनिया से कनेक्ट हो सके। इंटरनेट के जरिए नागरिकों को सरकारी सुविधाएं व लाभ सुगमता के साथ जल्द से जल्द मुहैया कराए जा सकते हैं। जिन्होंने यूरोप और अमेरिका के विकसित जगत को देखा है उनके लिए सरकार की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना समझ के अनुकूल हो सकती है। लेकिन डिजिटल साक्षरता से जो अछूते हैं उनके लिए डिजिटल इंडिया के जरिए ग्रामीण भारत में आने वाली सूचना क्रांति की आंधी का अनुमान लगाना आसान नहीं है।

बस यूं समझ लीजिए कि डिजिटल इंडिया के लागू होने के बाद आप बगैर कागज की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। शिकायतों को आज जैसे कागज पर कलमबद्ध कर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को दिया करते हैं। अब वह काम कागज पर लिखे आवेदनों से नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए होगा। सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए कागज पर लिखा आवेदन मिला या नहीं। उसे सम्हालकर रखा जा सका या नहीं। इन सब पर काफी वक्त और संसाधन गंवाया जाता है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के साकार होते ही शिकायत मिलने के वक्त–तारीख और उस पर समयबद्ध कार्रवाई का अमिट ब्यौरा सदा सर्वदा के लिए मौजूद होगा।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने डिजिटल इंडिया को गति देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बताया है कि इस वर्ष सशक्त और उन्नत कृषि के लिए ई–पोर्टल लांच करना है। इससे किसानों को खेती के अनुकूल सभी जानकारी ई–प्लेटफॉर्म पर

उपलब्ध होगी। किसान आसपास के कृषि वैज्ञानिक केंद्रों से सीधे जुड़ जाएंगे। किसान कृषि वैज्ञानिकों से मौसम मुताबिक खेती के लिए हरसंभव सलाह–मशविरा ले पाएंगे। किसानों के लिए ग्लोबल वार्मिंग की सूचना उपलब्ध होगी और ग्लोबल पोजिश्निंग सिस्टम की सुविधा से लैस भारतीय किसान उत्पाद के बाजार यानी कृषि मंडियों से सीधा जुड़ जाएगा। मंडियों में प्रतिदिन की कीमत की पूरी जानकारी सदैव उसके पास उपलब्ध होगी। बजटीय प्रावधान से आने वाले दिनों में उत्पाद संरक्षण के लिए खेतों के आसपास के भंडारगृहों की क्षमता की जानकारी किसानों को मिलने जा रही है। यह राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए पेश किया गया है।

डिजिटल इंडिया की उपयोगिता

डिजिटल साक्षरता के दायरे में आम भारतीयों को ले आना डिजिटल इंडिया का प्रधान लक्ष्य है। उसके जरिए आसान पहुंच बनाकर नागरिकों तक सभी सरकारी सेवा उपलब्ध कराना है। इसके तहत पूरे देश का डिजीटलीकरण एक महत्वपूर्ण काम है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला, सरकारी विभागों और प्रमुख कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय–स्तर) के एकीकरण से डिजिटल रूप से सशक्त भारतीय समाज का निर्माण करना है। इसके लिए योजनागत पहल होनी है। दूसरा, भारतीयों के लिए जनोपयोगी सेवा को तेज गति की इंटरनेट सुविधा पहुंचाकर सुलभ संभव बनाना है।

यह कार्यक्रम नागरिकों को जीवनपर्यंत, अनोखा, ऑनलाईन और प्रामाणिक रूप से डिजिटल पहचान उपलब्ध कराएगा। यह किसी भी ऑनलाईन सेवा जैसे बैंक खाता संभालना व वित्तीय प्रबंधन में मददगार होगा। इसके जरिए लोगों को सुरक्षित और सुनिश्चित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना संभव होगा। शिक्षा व दूरस्थ शिक्षा आदि के लिए यह बेहद कारगर होगा। इससे सुशासन की मांग को पूरा किया जा सकेगा। ऑनलाइन सेवा को डिजीटलीकरण से वास्तविक समय पर लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। डिजिटल रूप में बदली हुई सेवा के वित्तीय लेन–देन को आसान बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और बिना नकद व्यवहार वाले ऑनलाइन व्यापार के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

विकसित जगत में होगा प्रवेश

अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढ़ांचे की मजबूती के लिए डिजीटलीकरण मौजूदा शताब्दी की अनिवार्यता है। इससे पश्चिम जगत के विकसित और संपन्न देशों तक भारतीयों की पहुंच मुमकिन होगी। डिजिटल सशक्तीकरण से डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुंच की ऊंचाई को हासिल किया जा सकेगा। डिजिटल साक्षरता वास्तव में ऑनालइन प्रमाणपत्र या जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के काम को आसान बनाएगी। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थिति की अनिवार्यता को कम किया जा सकेगा।

बजटीय प्रावधान से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने के काम को गति मिलेगी। डिजिटल साक्षरता के काम को स्किल डेवलमेंट योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत आने वाले दिनों में गांव–शहर में इंटरनेट के संचालन की समझ को बेहतर बनाने का व्यापक अभियान शुरू किया जाना है। इससे रोजगार की अपार संभावना पैदा होगी। इसके लिए आरंभिक काम के तौर पर ब्रॉडबैंड हाइवे सुनिश्चित करना, मोबाइल फोन के लिए वैश्विक पहुंच को सुनिश्चित करना, तेज गति इंटरनेट लोगों को सुगम बनाना, डिजीटलीकरण के माध्यम से सरकार में सुधार के जरिए ई–गवर्नेंस लाना, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से ई–क्रांति लाना, सभी के लिए ऑनलाईन सूचना उपलब्ध कराना और ज्यादा आईटी नौकरियों को सुनिश्चित करने का काम होना है, यह बड़ा लक्ष्य है।

केंद्र व राज्य में तालमेल की जरूरत

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के विभिन्न सरकारी विभाग जैसे आईटी, शिक्षा, कृषि आदि के द्वारा सेवायुक्त परियोजनाएं परस्पर संबद्ध होंगी। दूरसंचार और सूचना तकनीक मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आम भारतीयों को समान रूप से सुनहरे अवसर प्रदान किया जाना है। देश के लगभग 2,50,000 गांवों और देश के दूसरे आवासीय इलाकों में तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट में "भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड" की ओर से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है।

डिजिटल इंडिया में डाटा का डिजीटलीकरण आसानी से होगा जो भविष्य में चीजों को तेज और ज्यादा दक्ष बनाने में मदद करेगा। ये कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की बचत करेगा। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच आपसी सहयोग और गठबंधन के जरिए योजनाओं को गति दी जाएगी। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गांव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्ण रूप से डिजिटली लैस इलाकों के रूप में एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। भारत में सभी शहर, नगर और गांव ज्यादा तकनीकी होंगे। मुख्य कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के निवेश के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है।

उद्योगपतियों का सहयोग

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को 2019 तक हासिल कर लेना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुरू की गई इस महात्वाकांक्षी योजना के लिए देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने सरकार से सहयोग करने का भरोसा दे रखा है। पहली जुलाई 2015 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, आरआईएल अध्यक्ष मुकेश अंबानी, विप्रो अध्यक्ष अजीम प्रेमजी आदि की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। डिजिटल इंडिया परियोजना में लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए अंबानी के द्वारा घोषणा की गई है। सरकार के बजटीय प्रावधानों के अलावा ई–कामर्स को गति देने के लिए अन्य औद्योगिक समूह ने भी अपना योगदान सुनिश्चित किया है। यह ऐसा कार्यक्रम है जो सेवाप्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंचाएगा। कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण के लिए डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह (संचार एवं आईटी मंत्रालय द्वारा संचालन) की व्यवस्था है। इसमें देश में 600 जिलों के गांव से शहर तक सूचना तकनीक की क्रांति के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इससे डिजीटल लॉकर, ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई–हस्ताक्षर और अब आधार जैसी योजनाओं को सर्वसुलभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल इंडिया का लाभ

बीती शताब्दी पूर्वाध में इसकी कल्पना संभव नहीं थी। इंटरनेट ने इसे संभव बनाया है। इसके तहत आम भारतीयों के लिए डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू होनी है। डिजिटल लॉकर में शैक्षणिक डिग्री, जमीन के दस्तावेज आदि फाइलों को ठीक उसी तरह से संरक्षित करना संभव होगा जैसे इन दिनों बैंकों के लॉकर में आभूषण या आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है।

इस व्यवस्था में रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई–शेयरिंग को सक्षम बनाया जाना है। आम भारतीय ई–दस्तावेजों के डिजिटल लॉकर की सुविधा से युक्त होगा। इसमें भौतिक दस्तावेजों के प्राकृतिक व कृत्रिम आपदों से बनी समस्या का निदान है। भौतिक दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण को कम किया जाएगा। कागजी कार्यवाही को न्यूनतम किया जाना संभव होगा। विभिन्न ऑनलाइन लक्ष्यों की प्राप्ति से संभव होगा कि कहीं से भी अपने दस्तावेज और प्रमाणपत्र को ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इससे शारीरिक कार्य घटेगा। अनावश्यक थकावट से बचा जा सकेगा।

डिजिटल इंडिया से बदलाव की क्रांति

यह प्रभावशाली ऑनलाइन मंच है जिसके जरिए शासन प्रणाली में लोगों को शामिल किया जा सकता है। सार्वजनिक व व्यक्तिगत चर्चा, कार्य करना और वितरण जैसे काम को आसान बनाया जा सकेगा। ई–हस्तक्षार संरचना से नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन हस्ताक्षरित कर पाएंगे। ई–अस्पताल से महत्वपूर्ण स्वास्थ्यपरक सेवाओं को आसान बनाया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर की उपलब्धता का पता लगाना, उनसे मिलने का वक्त लेना, फीस जमा करना, ऑनलाइन लक्षणिक जांच करना, खून आदि की जांच रिपोर्ट हासिल करना आदि मुमकिन होगा। ई–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रों को लाभ मिल रहा है। इसके जरिए जमा अर्जियों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और संवितरण की स्वीकृति को आसान बना दिया गया है। डिजीटलीकरण से पूरे देश में नागरिकों के लिए सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाना मुमकिन हुआ है। ई–चौपाल के भारत नेट कार्यक्रम (तेज गति का डिजिटल हाइवे) के जरिए देश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना है।

कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

डिजिटल इंडिया की योजना में किसी पहल के लिए बाहरी स्रोत से मदद लेना नीति का हिस्सा है। मोबाइल पर ऑनलाइन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया आदि में गुणात्मक सुधार लाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल का लक्ष्य

अगली पीढ़ी का नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए 30 साल पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को बदलने की है। बजटीय प्रावधान के जरिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक के लिए राष्ट्रीय केन्द्र फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके लिए पूरे देश में बीएसएनएल की ओर से बड़े पैमाने पर वाई–फाई हॉटस्पॉट को फैलाने की योजना पर काम हो रहा है। कनेक्टिविटी से जुड़े सभी मुद्दों को संभालने के लिए विकसित देशों की तरह पूरे देश को ब्रॉडबैंड हाइवे से जोड़ा जा रहा है। बड़े बदलाव का संकेत देते हुए दावा किया जा रहा है कि सभी शहर, नगर और गांवों में ब्रॉडबैंड हाइवे की खुली पहुंच की वजह से माउस के एक क्लिक पर विश्वस्तरीय सेवा की उपलब्धता आम भारतीयों के लिए मुमकिन होने जा रही है।

आधार की मान्यता से मिलेगी नई उड़ान

संसद के बजट सत्र में विशिष्ट बायोमैट्रिक्स पहचान संख्या से जुड़ी आधार योजना को कानूनी मान्यता मिलने की पहल से डिजिटल इंडिया को अपेक्षित उड़ान मिलना तय है। पिछली यूपीए सरकार ने आधार (वित्तीय, अन्य सहायताओं, सुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) योजना को लागू किया था। अब इसे कानूनी मान्यता दिलाने के लिए बने आधार विधेयक 2016 को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने इस मौके पर लोकसभा में बताया कि विधेयक का मूल उद्देश्य सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों को जरूरतमंदों तक पारदर्शी व सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का अधिकार प्रदान करना है। चूंकि यह मदद सरकारी खजाने से जाएगी इसलिए आधार विधेयक को मनी बिल का नाम दिया गया है। इस व्यवस्था से जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली सरकारी मदद बिचौलियों के हाथों में जाने से बचेगी और इससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए समुचित हाथों तक पहुंचेंगे। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या बहुत है। उन तक रसोई गैस, मोबाइल डाटा और जन–धन योजना का लाभ पहुंचाने में कानूनी तौर पर मान्य आधार योजना महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

वित्तमंत्री के मुताबिक हर उस भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड है जो साल में कम से कम 182 दिन देश में रहा है। लगभग 97 प्रतिशत लोगों के हाथ आधार कार्ड पहुंच गया है। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों को आधार के जरिए ही पैसा सीधे खातों में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आधार से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल केवल और केवल सरकारी मदद के लिए ही होगा। अन्य किसी भी सेवाओं के लिए इसका इस्तेमाल निषिद्ध है। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों के मामले में ही आधार की जानकारी साझा की जा सकेगी। अन्य किसी भी हालत में ऐसा करने वाले को तीन साल की जेल की सजा या फिर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था की गई है।

आधार कार्ड को कानूनी मान्यता मिलने के बाद 2019 तक डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने का काम आसान होता दिख रहा है। इसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजटीय प्रावधान से डिजिटल आधारभूत ढांचे के निर्माण को गति मिलना तय है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की पहुंच आम जनता तक बनानी है और डिजिटल साक्षरता के लक्ष्य को हासिल किया जाना है।

सुदृढ़ होगा टू–वे प्लेटफॉर्म

इस महती योजना में एक टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहां पर दोनों (सेवाप्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर–मंत्रालयी पहल होगी जिसमें सभी मंत्रालय तथा विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि अपनी –सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चयनित रूप से पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पुनर्निर्माण की योजना है। यह योजना मौजूदा सरकार की ओर से सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है।

हालांकि इस योजना में फिलहाल पर्याप्त लीगल फ्रेमवर्क की कमी, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी नागरिक स्वायत्तता हनन की आशंका, भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी तंत्र का अभाव तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण खामियां नजर आ रही हैं। योजना को प्रभावी बनाने के लिए इन खामियों की पहचान कर जल्द समाधान तलाशने की जरूरत है। इस जरूरत के बीच डिजिटल इंडिया को समय पर कार्यान्वित करना अधिक जरूरी लग रहा है क्योंकि इससे भारत को सशक्तीकृत किए जाने का राष्ट्रीय दायित्व पूरा होना है। दरअसल कई दिक्कतों की पहचान का काम क्रियान्वयन के क्रम में सामने आने वाली परेशानियों को समझकर ही संभव हो पाएगा।

(25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। लेखक प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर से जुड़े रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजतक, जी न्यूज, न्यूज 24 आदि से जुड़े रहे। काठमांडू में नेपाल वन टीवी के प्रबंध संपादक भी रह चुके है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में मीडिया सलाहकार और पाक्षिक पत्रिका *शुक्लपक्ष* के सलाहकार संपादक हैं।)

ई–मेलः aloksamay@gmil.com

युवाओं के लिए उम्मीदों का बजट

–सुरभि गौड़

भारत में अपार 'युवाशक्ति' उपलब्ध हैं और साथ ही असीम संभावनाएं। इस बजट में सरकार 'युवाशक्ति' की संभावनाओं को 'तलाशने' और 'तराशने' को तत्पर दिख रही है। यदि सरकार की योजनाएं सही मायने में लागू हो पाएं और युवा भी अपनी जिम्मेदारी समझें और इन योजनाओं का लाभ उठा पाएं तो भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार उत्पादन केंद्र बन सकता है। साथ ही, संवृद्धि से विकास की ओर बढ़ सकता है।

आजादी के बाद से अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो हम पाते हैं जितनी तेजी से गांव बदले हैं और उनका स्वरूप बदला है उतनी तेजी से वहां के लोग नहीं। इसका उदाहरण यही है कि आज भी गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि का स्तर काफी निम्न है जिससे ग्रामीण लोगों के विकास के अवसर स्वतः ही सीमित हो जाते हैं।

ग्रामीण बेरोजगारी और कौशल विकास

आजादी के बाद से गरीबी हटाने, पूर्ण रोजगार जैसे बड़े–बड़े नारे दिए गए लेकिन इनकी धुरी 'कौशल विकास' की ओर शुरुआत में तो ध्यान ही नहीं दिया गया। कौशल विकास जहां व्यक्ति की विशेषज्ञता को बढ़ाता है वहीं उसकी रचनात्मकता का विस्तार करता है। साथ ही, उत्पादन के स्तर एवं उत्पादों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। कौशल विकास एक साथ संवृद्धि, जैसे, मांग–आपूर्ति, प्रति व्यक्ति आय उपभोग एवं विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यय व गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करता है।

आने वाले समय में जहां भारत में तेज विकास की संभावनाएं पूरे विश्व द्वारा देखी जा रही हैं, वहां यह सुनिश्चित करना बहुत ही अहम हो जाता है कि हम अपने मानव संसाधनों का कितना सदुपयोग कर रहे हैं। भारत की बड़ी युवा आबादी को जहां जनसंख्या लाभांश के रूप में देखा जा रहा है वहीं विशेषज्ञ इस बात से भी सरोकार रखते हैं कि आखिर कैसे? अगर हम युवा आबादी का नियोजन भारतीय अर्थव्यस्था में नहीं कर पाएं, उनके अनुसार रोजगार एवं उनकी कौशल क्षमता का विकास नहीं कर पाएं तो यह भारत के लिए बहुत ही समस्या की बात हो सकती है।

इस हेतु सरकार को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जैसे 'पूरा' (PURA) मॉडल को व्यावहारिक रूप देना तथा 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

विभिन्न मंत्रालय व राज्य भी अपने अलग–अलग कौशल विकास कार्यक्रम रखते रहे हैं जिससे उनके मध्य तालमेल का अभाव व परस्पर अतिव्यापन की समस्या होती रही है जिससे समय व संसाधनों दोनों का अपव्यय होता था।

सरकार द्वारा कौशल विकास एवं बेरोजगारी निवारण हेतु उठाए गए कदम

वर्तमान सरकार ने विकास हेतु भारतीय युवाओं व ग्रामों के महत्व को समझा है। साथ ही इनसे जुड़ी समस्याओं को भी ध्यान में रखा। भारतीय श्रमबल की सबसे बड़ी समस्या तकनीकी दक्षता व कौशल विशिष्टता का अभाव रहा है जिससे दूर करने हेतु संस्थागत–स्तर से ढांचागत–स्तर पर सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं जो अग्रलिखित हैं:–

1. सरकार द्वारा पृथक मंत्रालय की स्थापना

इस क्षेत्र के महत्व एवं उपयोगिता को देखते हुए सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे इस क्षेत्र में अधिक स्पष्टता एवं गहनता से ध्यान दिया जा सकेगा।

कौशल विकास योजना में 24 लाख युवाओं को उद्देश्यपूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण आगामी तीन वर्षों में दिया जाएंगा। 5.32 लाख युवा पहले से ही नामांकित हैं तथा 4.32 लाख ने सफल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

2. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

इसकी शुरुआत अन्तर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 जुलाई, 2015 को की गई। इसे लागू करने हेतु एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई। साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन (NSDC) एवं राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था (NSDA) एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग) सहायक संस्थाएं होंगी। ये सभी क्षैतिज रूप में मिशन डायरेक्टोरेट से जुडे रहेंगे ताकि राष्ट्रीय–स्तर पर इनका सुचारू क्रियान्वयन किया जा सके।

चित्र 1.1 NSDM के मुख्य घटक

नई मंजिल, उस्ताद, रोशनी जैसी योजनाएं सरकार द्वारा अल्पसंख्यक जनजाति आदि में कौशल विकास के उद्देश्य से शुरू की गई हैं जिनके व्यापक सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे।

3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रमुख बिंदु

प्रशिक्षण राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों व क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा बनाए गए मानकों के तहत किया जाएगा एवं तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर मूल्यांकन किया जाएगा।

- प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के पश्चात प्रत्यक्ष अनुदान उसके आधार खाते से जोड़ कर दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।
- इसके तहत प्रशिक्षण हेतु बाजार में कौशल मांग व कौशल अन्तराल का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार यह एक मांग निर्देशित कार्यक्रम होगा।
- इसके लक्ष्यों को राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया।
- इस योजना के तहत स्कूल छोड़ चुके युवाओं, जनजाति व पिछड़े क्षेत्र आदि को ध्यान में रखा जाएगा।
- जनता में कौशल विकास के प्रति जागरुकता के प्रसार हेतु कौशल मेला एवं गैर–सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी के नागरिकों का सहयोग लिया जाएगा।
- इसको सभी पहलुओं में सफल बनाने हेतु पाठ्यक्रम से लेकर प्रशिक्षक तक सभी को अद्यतन बनाया जाएगा। साथ ही इसमें प्रशिक्षण के अलावा अन्य पक्षों जैसे व्यावहारिक परिवर्तन, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण आदि पर ध्यान दिया जाएगा।
- सम्पूर्ण कार्यक्रम को मूल्यांकन व शिकायत सुधार हेतु तृतीय पार्टी का सहयोग लिया जाएगा एवं एक प्लेटफार्म बनाया जाएगा।

बजट 2016–17 में प्रमुख रोजगार व कौशल विकास योजनाओं से जुड़े आर्थिक प्रावधान–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया जो गत वर्ष से 13.3 प्रतिशत अधिक है। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 1439 रुपये करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आजीविका मिशन 3325 करोड़ रुपये यह ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लाभप्रद व कुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने वाला सशक्तीकरण कार्यक्रम है। मनरेगा के तहत भी 38500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

रोजगार सृजन योजनाओं के लिए बजट आवंटन : 2016–17

क्रम सं.	योजनाए	राशि (रुपये में)
1	महात्मा गंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	38500
2	राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण और शहरी)	3325
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	1439
4	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1700

निष्कर्ष

सरकार के हाल के कदम एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अब लोंगों को मछली देने की बजाय उन्हें मछली पकड़ना सिखाना है, ताकि वे अपनी आजीविका को आत्मनिर्भरता से प्राप्त कर सकें। यह कहा भी जाता है 'अनुदान' से बेहतर है 'कौशल' जो आत्मविश्वास का संचार करता है।

(शोधार्थी, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 110067)
ई–मेलः surbhigaur66@gmail.com

बेरोजगारी से लड़ने के लिए कौशल विकास पर ज़ोर

–डॉ. विष्णु राजगढ़िया

वर्ष 2016–17 के आम बजट में कौशल विकास को खास महत्व दिया गया है। इससे युवाओं को कौशल विकास करके रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्यमिता अब 'युवाओं के द्वार' पहुंच रही है। जरूरत है देश में कौशल विकास संबंधी योजनाओं को सही तरीके से समझकर इसका समुचित लाभ उठाने की।

कौशल विकास को पहले भी एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता रहा है। इसे अलग–अलग रूप में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा देने के प्रयास होते रहे हैं। लेकिन इस बार का बजट इस आवश्यकता को खासतौर पर चिन्हित करता है। इसका कारण भी है। भारत एक लोक–कल्याणकारी राज्य है। देश की व्यापक आबादी को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदमी तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार का दायित्व है। इसके लिए आजादी के बाद से ही विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से कोशिशों एवं प्रयोगों का सिलसिला जारी है। इन योजनाओं का नाम चाहे जो हो, सबका लक्ष्य व्यापक आबादी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ही है। इस क्रम में अनुदान आधारित विभिन्न योजनाएं भी शामिल हैं। लेकिन सवा अरब से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों के बल पर आखिर किस हद तक ऐसे कल्याणकारी कार्यों को प्रभावी और निरंतर बनाए रख सकती है? लिहाजा, व्यापक आबादी का क्षमतावर्धन करके उन्हें रोजगार या स्वरोजगार की ओर उन्मुख करना ज्यादा कारगर है।

यही कारण है कि लंबे समय से देश में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनगिनत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। आई.टी.आई. एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन से लेकर स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देना ऐसी ही गतिविधियों का हिस्सा है। सरकारी विभागों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी औद्योगिक घराने भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देते हैं। इन सभी प्रकार के प्रयासों एवं गतिविधियों को 'कौशल विकास' कहा जाता है।

केंद्र–स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण गठित है। इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी बनाया गया है। यह निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सरकार द्वारा गठित कम्पनी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का भी गठन किया गया है। इन गतिविधियों को समन्वित

करने के लिए पहली बार भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। श्री राजीव प्रताप रुडी, माननीय केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को इसका दायित्व सौंपा गया है। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों को इस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था।

इन प्रयासों के माध्यम से देश में 'स्किल इंडिया' मिशन की शुरुआत की गई है। 15 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया था। केन्द्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 भी बनाई है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्रसंघ के आह्वान पर 15 जुलाई, 2015 को पहली बार दुनिया भर में युवा कौशल दिवस का आयोजन हुआ। भारत में भी केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस अवसर पर युवाओं के कौशल संबंधी विषयों पर कार्यक्रम हुए।

कौशल विकास के मामले में देश में अब तक की स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। भारत में कुशल मानव संसाधन की अत्यधिक कमी है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार हमारे देश में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या मात्र 2.3 प्रतिशत है जबकि दक्षिण कोरिया में यह संख्या 96 प्रतिशत है। ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत तथा जापान में 80 प्रतिशत श्रमिक कुशल हैं। इसके कारण भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कौशल विकास को अहम समझा जा रहा है।

भारत में आबादी का 54 प्रतिशत हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। देश में क्रियाशील आबादी 62 प्रतिशत है जो 15 से 59 आयु वर्ग की है। **भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक तीस करोड़ लोगों के कौशल विकास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यही कारण है कि इस वर्ष 2016–17 के आम बजट में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर मान लिया गया है।**

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रुडी के मुताबिक पहले युवाओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों खर्च किए जाते थे, परंतु इसके बाद उनके कौशल उन्नयन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं दिखता था। इसका नतीजा यह होता था कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में करोड़ों युवा रोजगार के अवसर के लिए संघर्ष करते रहते थे। पर अब इस तस्वीर को बदलने में कामयाबी मिलेगी। आने वाले समय में कौशल विकास जैसी महत्वाकांक्षी योजना देशवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी।

वर्ष 2016–17 में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए देशभर में 1,500 बहु–कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इन लक्ष्यों को पाने और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विस्तार के लिए ₹1,700 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है। उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

इस दिशा में सरकार के विभिन्न कदमों से पता चलता है कि कौशल विकास को किस तरह अहमियत दी जा रही है। उदाहरण के लिए, कौशल विकास मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों से नियुक्ति नियमावली में उपयोगी संशोधन करने का निर्देश जारी किया है। इसका मकसद कुशल कर्मचारियों के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना है। सरकारी विभागों को अपने भर्ती अभियानों में अस्पष्टता कम करने और प्रशिक्षित युवाओं को पात्रता मानदंड के रूप में एमएसडीई की प्रशिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के तहत प्रदान किए जा रहे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) को मान्यता देने का आग्रह किया गया है। इससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे।

एमएसडीई के सचिव श्री रोहित नंदन के अनुसार सरकार ने डीजीटी के तहत व्यापक सुधार लागू किए हैं। यह प्रमाणित कर्मचारियों को समस्त क्षेत्रों (सेक्टर) में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने की एक पहल है। यह देखा गया है कि एनटीसी की तुलना में अधिक योग्यता होने के बावजूद एनएसी अभ्यर्थियों के नामों पर विचार नहीं किया जाता है। इससे सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा। एमएसडीई के अधीनस्थ प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) अपनी प्रमुख प्रशिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के तहत कार्यरत 28,500 प्रतिष्ठानों के जरिए 259 नामित कामधंधों में अभ्यर्थियों को रोजगार के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करता है।

जानकार लोगों का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' की सफलता के लिए कुशल श्रमिक बल होना जरूरी है। ऐसे कुशल श्रमिक ही देश में विनिर्माण को गति देंगे। 'स्किल इंडिया' मिशन का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने के कारण कौशल विकास कार्यक्रम को सरकार की प्राथमिक सूची में देखा जा सकता है।

कौशल विकास के जानकार लोगों का मानना है कि औपचारिक शिक्षा का महत्व आज काफी बढ़ गया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले रोल मॉडल औपचारिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से ही आए हैं। जिन लोगों ने बेहतर औपचारिक शिक्षा ली है, उन्होंने सफलता के अच्छे उदाहरण पेश किए हैं। लेकिन कौशल के जरिए सफलता हासिल करने के उदाहरण काफी कम हैं। इसलिए समाज में कौशल हासिल करने के प्रति उत्साह कम देखने को मिलता है। **भारत को ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें कौशल विकास एक गरिमापूर्ण काम माना जाए और इसे प्रतिष्ठा मिले। कौशल विकास के अच्छे केंद्रों और अलग–अलग कारोबारों के बीच संस्थागत संपर्क बढ़ाने पर भी जोर देना उपयोगी होगा। पूरे देश में उद्योग एवं कारोबार और कौशल विकास केंद्रों में एक बेहतर तालमेल हो ताकि स्किल और विशेषज्ञता का फायदा उठाया जा सके।** पूरे देश में अगर कौशल विकास केंद्रों और उद्योग–व्यापार के बीच संपर्क बढ़े तो इससे कौशल विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। कौशल विकसित करने की दिशा में अड़चन रहित यात्रा आगे बढ़ेगी। इससे विद्यार्थी कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ले सकेंगे। मेक इन इंडिया का काफी दारोमदार इन्हीं मुद्दों पर टिका है।

इस मामले में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 2015–16 के बजट भाषण में ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को संस्थागत ढांचा प्रदान करने को मंजूरी दे दी थी। यह मिशन देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य–स्तर पर सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान कर रहा है। इस मिशन में त्रि–चरणीय, उच्चाधिकार प्राप्त निर्णय लेने संबंधी ढांचा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिशन की गवर्निंग परिषद है, जो समग्र मार्गदर्शन एवं नीतिगत दिशा प्रदान करती है। कौशल विकास प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति गवर्निंग परिषद के निर्देशन पर मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करती है। मिशन निदेशालय, कौशल विकास के सचिव, मिशन निदेशक के रूप में केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों और राज्य सरकारों में कौशल संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन, समन्वयन एवं अभिसरण सुनिश्चित करते हैं।

मिशन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप–मिशन भी संचालित करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और प्रशिक्षण निदेशालय मिशन के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) मौलिक रूप से तीन निर्णय लेने वाले सभी स्तरों को जोड़ते हुए तथा समस्त केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों में संबंध सुगम बनाते हुए मिशन के लिए स्वाभाविक आश्रय उपलब्ध कराता है।

कौशल विकास का उद्देश्य तेज गति से लोगों को बड़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। गत वर्ष केंद्र सरकार ने देश के लगभग 120 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया। 60 प्रतिशत कौशल प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से देने तथा शेष प्रशिक्षण भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा देने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अधीन 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सरकार ने अभी हाल में कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों को मंजूरी दी है। इनमें नए प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम 200 घंटे की अवधि और कौशल उन्नयन के लिए कम से कम 80 घंटे की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उल्लेख है। कौशल प्रशिक्षण के लिए आम मानदंडों को शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के लिए बुनियादी न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने के लिए कौशल विकास को निरंतर गति देने में प्रयासरत है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व में मानव संसाधन की राजधानी बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने भारत सरकार के विविध मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित समस्त कौशल विकास योजनाओं के सामान्य नियम प्रारंभ किए जाने को स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 70 से ज्यादा कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) चलाए जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक की पात्रता अर्हताएं,

प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की लागत, निष्कर्ष, निगरानी एवं ट्रेकिंग व्यवस्था आदि के अपने नियम हैं। नियमों और मानकों की समरूपता के अभाव के कारण एसडीपी के प्रभाव में बिखराव है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें व्यवस्थित किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। सामान्य नियम प्रारंभ को सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने से जानकारी, निष्कर्ष, लागत नियम, तीसरे पक्ष का प्रमाणन एवं आकलन, निगरानी, ट्रेकिंग व्यवस्था और प्रशिक्षण देने वालों को कौशल विकास प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं की पूर्ण रेंज को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। लागत नियमों में प्रत्याशियों को संघटित करने, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण, नियुक्ति का खर्च, नियुक्ति के बाद निगरानी और बुनियादी ढांचे की लागत शामिल है।

प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजनाओं में एकरूपता लाने और मानकीकरण के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सामान्य नियम समिति के गठन की परिकल्पना की गई है। समिति में संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के आठ अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही ऐसे विशेषज्ञों और महत्वपूर्ण हितधारकों को आमंत्रित करने का प्रावधान भी होगा, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक हो सकते हैं। इस समिति को कौशल विकास कार्यक्रमों के सामान्य नियमों, अधिसूचना के कार्यक्रमों, प्रशिक्षण लागत और धन संबंधी नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा। सामान्य नियम जहां विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं में लागू होंगे, वहीं राज्य सरकारों द्वारा भी एकरूपता और मानकीकरण के लिए अपनी कौशल विकास योजनाओं को सामान्य नियमों के अनुरूप बनाने की सम्भावना है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा भारत की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति–कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 को मंजूरी दी जा चुकी है। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को महसूस करती है। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नीति का निरुपन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में किया था और नीतिगत प्रारूप को उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए पांच साल बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था।

इस नीति का विज़न है–''उच्च मानकों सहित बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तीकरण की व्यवस्था तैयार करना। उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना जिससे देश में सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन हो।''

इस विज़न को प्राप्त करने के लिए नीति के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव, आदि सहित कौशल संबंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करती है। नीति में निष्पक्षता पर ध्यान दिया गया है। इससे सामाजिक, भौगोलिक रूप से हाशिये पर रहने वालों के लिए कौशल अवसरों की संभावनाएं पैदा होंगी। महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है।

हाल के दिनों में महत्वपूर्ण सफलता के आंकड़े भी उत्साहवर्धक हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 10 लाख नामांकन हुए हैं। नामांकन के मामले में शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में लॉजिस्टिक (135615), कृषि (90489), इलेक्ट्रॉनिक्स (82903), ब्यूटी एवं वेलनेस (72316), रिटेल (65901) व ऑटोमोटिव (61846) ट्रेड में ज्यादा नामांकन हुए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) अपने 1012 साझेदारों के साथ मिलकर इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्तमान में इस योजना के तहत 382 रोजगार कार्यक्रमों को लेकर 10,28,671 उम्मीदवारों के नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 70 फीसदी ने अपना प्रशिक्षण पहले ही प्राप्त कर लिया है। इस योजना का कार्यान्वयन देश के सभी 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में किया जा रहा है। यह योजना 596 जिलों और 531 निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित है।

कौशल विकास के 29 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है जिनमें 566 रोजगार के क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन पाठ्यक्रमों में युवा नामांकन कराकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। भारत में चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम को विश्व की सबसे बड़ी कौशल विकास योजना के तौर पर देखा जा रहा है।

जाहिर है कि केंद्र सरकार द्वारा उद्यमिता और कौशल विकास को प्राथमिकता सूची में लेने तथा नए बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण युवाओं के समक्ष संभावनाओं के काफी द्वार खुल चुके हैं। आवश्यकता है उन अवसरों को समझने और उनका लाभ उठाने की।

(लेखक झारखंड कौशल विकास मिशन में मीडिया सलाहकार हैं।)
ई–मेलः vranchi@gmail.com

सुशासन की दिशा में गंभीर प्रयास

—सिद्धार्थ झा

इस बजट में ना सिर्फ अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिश है बल्कि सुशासन की दिशा में गंभीर प्रयास की झलक मिलती है। सवाल अब सिर्फ इनके सुचारू ढंग से क्रियान्वयन का है कि सरकार कैसे इसको धरातल पर उतारती है और उसका मूल्यांकन करती है। जिस समर्पण के साथ सरकार गरीबी, असमानता की मोटी लकीर को खत्म करने के लिए फिक्रमंद है उसी समर्पण भाव से जरूरतमंदों तक इन योजनाओं को पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है।

वर्तमान सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट है और निसंदेह इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस आम बजट में गांवों, किसान, खेती, ढांचागत सुविधाओं के विकास और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को राहत देने पर पूरा जोर रहा। किसानो के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान,गरीबों को मुफ्त रसोई गैस के कनेक्शन, प्रत्येक परिवार को एक लाख का स्वास्थ्य बीमा, बुनियादी ढांचागत विकास पर बल और तय समयसीमा में किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य यह परिलक्षित करता है कि सरकार किस तरह से अपनी चुनावी घोषणा 'सबका साथ सबका विकास' को साकार करने के लिए कृत संकल्प है।

इस बजट में अगर हम देखे तो वित्तमंत्री ने एक तरफ ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र को तरजीह दी तो दूसरी तरफ इस बार सारा फोकस गरीब और किसान पर ही रखा है। यानी बहुत ही सुंदर ढंग से संतुलन साधने का काम किया है इस आम बजट में शहरी आबादी, रईसों और उद्योगपतियों को छोड़ सरकार गांव–खेती और गरीब की चिंता करती दिखी है किसी खास तबके को खुश करने के बजाय आर्थिक विकास में ढांचागत क्षेत्र के महत्व को स्वीकारा है। साथ ही आम आदमी पर किसी तरह का बोझ बढ़ाने की बजाए उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट आबंटन बढ़ाया है। कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस बार खेती का बजट दुगुना किया और रिकार्ड 9 लाख करोड़ देने के लक्ष्य का ऐलान किया। इसमें भी सबसे बेहतरीन सोच रही कृषि परियोजनाओं को लेकर सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कृषि कल्याण सेस के अलावा 20 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई फंड बनाने की घोषणा की। भारत की अधिकांश खेती नदियों, वर्षा, नहरों, ट्यूबवेल पर निर्भर है जो पर्याप्त नहीं है। भूजल दोहन या वर्षा अपर्याप्त है बम्पर फसल के लिए। इसलिए पांच लाख कुंओं का निर्माण,पर्याप्त सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर सरकार की पहल के सार्थक परिणाम आने की उम्मीद है। हालांकि इन योजनाओं में जो कुंए, तालाब या नहरों का निर्माण होगा जिसमें वाजिब–सी बात है राज्य सरकार की महत्पूर्ण भूमिका होगी। उन तालाब, बावड़ियों,

कुंओं का हाल मनरेगा के तहत बनने वाले निर्माणों जैसा न हो जो एक साल बनता है दूसरे साल फिर भर दिया जाता है और सिलसिला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसकी निगरानी के लिए कोई उचित तंत्र विकसित करना केंद्र के लिए भी कठिन चुनौती होगी। खेती–किसानी के लिए बिजली पानी के अलावा जो एक और खास जरूरत थी वो थी फसल बीमा योजना की जिसकी प्रधानमंत्री ने बजट से पहले स्वयं ही घोषणा कर दी थी। क्योंकि प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा चोट किसानों को ही पहुंचती है। इसलिए सरकार का ये कदम किसानों को ताकत और हौंसला देता है कि विकट परिस्थितियों में भी उसकी चिंता करने वाला कोई है। इन सबके अलावा गांव–गांव तक सड़क, मिट्टी की जांच के केंद्र ,खाद की सब्सिडी को डीबीटी के तहत लाना और तमाम वो छोटी–बड़ी घोषणाएं हैं जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए पारंपरिक कृषि को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी इस बजट में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई क्योंकि उर्वरक और यूरिया–आधारित खेती देश की मिट्टी और देश के स्वास्थ्य दोनों के लिए घातक है।

खेती के लिहाज से इस बजट को मैं 'लहलहाते बजट' की संज्ञा दूंगा। जिसने न सिर्फ किसानों के दुःख–दर्द, तकलीफों को समझा बल्कि एक तय समय में उनकी आमदनी को दुगुना करने का लक्ष्य रखा जिससे कि देश की आधी आबादी जो कृषि पर निर्भर है, वो भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो और वो भी आत्मसम्मान के साथ समाज में अपनी रचनात्मक भागीदारी दे सके। शुरुआती दो बजट शहरी विकास पर केंद्रित थे लेकिन ये बजट ग्रामीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरुरत इस बात की थी कि शहरी और ग्रामीण भारत की दूरियों को कम किया जाए। उन्हें आत्मनिर्भर बनाए चाहे खेती की बात हो या रोज़गार की या 'स्किल इंडिया' की या फिर एलपीजी देना ये सब कही न कही एक ठोस भारत बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। 18500 गांवों को मई 2018 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य एक महत्पूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास के लिए 87700 से ज्यादा रकम दी गई है जिससे मनरेगा और अन्य विकास के मद में खर्च किया जाएगा।

सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि वो विकास के इस स्तर पर अवसर निर्मित करने और घोर गरीबी घटाने पर बजट केंद्रित करेगी जैसाकि उसने किया। जनता ने मोदी सरकार को चुना ही इसलिए क्योंकि उन्होंने चर्चा को असमानता से हटाकर अवसरों पर केंद्रित कर दिया। सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश के जरिए ही अवसर पैदा कर सकती है जिससे समाज में नौकरियां और तरक्की के नए अवसर पैदा होंगे जो समाज में असमानता को दूर करेगी। अवसर पैदा करने और एक सशक्त आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में इस बजट में एक और खास काम जो हुआ वो है 'स्किल इंडिया' पर सरकार का जोर रहा।

सरकार का उद्देश्य अगले तीन साल तक एक करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेंनिग देने का है जिसके लिए इस बजट में 1700 करोड़ रु और 1500 मल्टी ट्रेनिंग संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बुनियादी ढांचा विकास और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। पिछले दो सालों में स्टार्टअप पर खासा जोर दिया गया है क्योंकि सरकार के बहुत सारे तामझाम जो आपका अपना बिजनेस या रोजगार धंधा शुरू करने के लिए करने होते हैं, अब ऑनलाइन हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से आपको अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती जिसका नतीजा है लगभग 1900 से ज्यादा स्टार्टअप की शुरुआत हुई। जबकि इस साल ये आंकड़ा 1200 को पार कर चुका है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है और करोड़ों युवाओं में उम्मीद की रोशनी जगी है।

बजट में ऐसे प्रावधानों की लंबी सूची है जो जाहिर करती है कि मार्किट में जॉब्स के अवसर बनने की उम्मीद है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाया है, ग्रामीण इकोनॉमी में तेजी आई है यानी वहां निवेश बढ़ेगा। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस बजट में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नियमों को बनाया गया है। इससे जहां उद्यमियों को कामधंधा करने में आसानी होगी वहीं बम्पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्योंकि किसानों के बाद जो सबसे ज्यादा बदहाल है वो है हमारी युवा पीढ़ी जोकि देश की ताकत है, देश को नई दशा और दिशा दे सकती है। ऐसे में इस सकारात्मक ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करना है इसकी झलक प्रधानमंत्री की उस दूरदर्शी सोच में झलकती है जब उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' का नारा दिया और उस दूरगामी सोच के सार्थक परिणाम अब दिख रहे हैं जब युवाओं के चेहरों पर संतोष की मुस्कान दिखती है। इन युवाओं का भविष्य ही भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाएगा। आज वैश्विक मंच पर हमारे पास वो तमाम अवसर हैं जहां हम चीन, जापान, अमरीका को पछाड़ सकते हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों का आह्वान करते हुए उनमें नया जोश भर देश में जान डालने का बिगुल फूंका था। जब उन्होंने कहा–''सिर्फ भारत के पास वो क्षमता, वो अवसर है अब हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था उससे कहीं उन्नत है इसीलिए इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।'' इस बजट की ओर बड़ी सफलता जो है वो है आधार कार्ड को कानूनी जामा पहनाने की जो बात कही गई वो

कहीं न कहीं सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में एक अच्छी पहल है। क्योंकि इससे कानूनी विवाद के साथ अनिश्चितता भी खत्म होगी और जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा। सरकार अपने वादों और इरादों को लेकर कितनी गंभीर है इस बात का पता इस बात से चलता है कि आधार को कुछ संशोधनों के साथ बजट सत्र के कुछ दिनों के पश्चात ही लोकसभा में पास भी करवा दिया।

गौरतलब है अभी सम्पूर्ण विश्व विश्वव्यापी मंदी से गुजर रहा है भारत पर भी कहीं न कहीं इसका असर हो रहा है लेकिन इन सबके बावजूद वित्तमंत्री ने सभी वर्गों का न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि अनेक साहसी और चुनौतीपूर्ण फैसले लिए हैं जिसके लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। देश की अर्थवयवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके लिए भले ही सिर्फ आधा प्रतिशत कृषि सेस लगाकर मध्यम तबके की नाराजगी ही लेनी पड़ी हो।

बजट में एक और चीज अगर हम देखें तो कम आय वर्ग को वो सभी बुनियादी सुख–सुविधाएं दिलवाने के लिए तत्परता दिखती है जिसकी जरूरत देश को लंबे समय से थी। अब बात एलपीजी कनेक्शन या स्वास्थ्य बीमा योजना की ही की जाए तो प्रधानमंत्री ने किस तरह से सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की मार्मिक अपील की थी और लाखों लोगों ने गरीबों के हक में अपनी गैस सब्सिडी खत्म करवाई। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपीलों या वक्तव्यों से लगता है वो देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ सरकार ही क्यों देश की चिंता करे। देश हमारा–आपका परिवार है हमारे आसपास में हमारी छोटी–सी पहल से अगर खुशहाली आती है तो ये सम्पूर्ण राष्ट्र का परम नैतिक कर्तव्य है कि हम सब देश निर्माण में अपनी भागीदारी और साझेदारी दिखाए और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी निर्वाह करे जिसकी देश आपसे पिछले साठ दशक से अपेक्षा कर रहा है। एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन साल में देने का लक्ष्य सचमुच काबिलेतारीफ है जिससे हमारी ग्रामीण महिलाओं के जीवन–स्तर में बहुत सुधार आएगा और उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा।

अब तक गरीब या निम्न आय वर्ग को सबसे ज्यादा मार पड़ती थी। जब उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए और ऐसे में उसका उचित इलाज भी नहीं हो पाता था और रही–सही जमापूंजी भी दवा और डॉक्टर में स्वाह हो जाती थी। लेकिन एक लाख रुपये प्रति परिवार हेल्थ इन्शोरेंस स्कीम वास्तविकता में एक क्रांतिकारी पहल है। हालांकि ये रकम उतनी बड़ी नही है। लेकिन सरकार की जन–जन की स्वास्थ्य की चिंता उसके मानवीय सरोकारों एवं पहलू को दर्शाती है जिसकी जरूरत लंबे समय से थी। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में 3000 जन औषधि केंद्र और हर जिले में डाइलिसिस केंद्र खोलने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं है जिसके केंद्र मे है तो सिर्फ आम गरीब आदमी की चिंता। जिसका सबसे ज्यादा फायदा भी गांव–देहात के गरीब आदमी को मिलेगा इस तरह की घोषणा की दरकार लंबे समय से थी। जरूरत है तो सिर्फ उचित तरीके से इसे लागू करने की।

शिक्षा के क्षेत्र में देखे तो काफी समय से सांसद अपने–अपने क्षेत्रों में और अधिक केंद्रीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों की मांग करते रहे हैं क्योंकि विश्वपटल पर इन स्कूलों ने अपनी अलग पहचान और साख कायम की है। ऐसे में इस बजट में 62 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जाने की घोषणा से लाखों नौनिहालों को फायदा होगा जो प्राइवेट स्कूल की मुंहमांगी फीस या शहरों में जाकर हॉस्टल का व्यय वहन करने में असक्षम हैं। यानी सीधे तौर पर यहां भी किसी गरीब किसान या मजदूर का बच्चा अपने मां–बाप के सपनों को साकार करेगा।

इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 72300 करोड़ रु दिए गए जिसके साथ क्वालिटी एजुकेशन और मिड डे मील पर खासा जोर दिया गया। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान को

गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरुरत लंबे समय से की जा रही थी। उच्च शिक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये से उच्च शिक्षा फाइनेंसिंग एजेंसी बनाने का भी प्रस्ताव किया गया जो 'नो प्रॉफिट नो लॉस' के आधार पर देश की शीर्ष शिक्षण संस्थाओं को आधारभूत ढांचे में विकास के लिए मदद करेगी, उनको ऋण देगी।

ऐसा नहीं है कि इस बजट में मध्यम वर्ग की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है। आज एक अदद 'घर' हर व्यक्ति, हर परिवार की बुनियादी जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार घर खरीदने वालों को 50 लाख रु तक के घर खरीदने के लिए ब्याज में 50 हजार रु तक की छूट दी गई है। उसके अलावा घर के किराये पर 24 हजार की जगह 60 हजार रु प्रतिवर्ष टैक्स में छूट मिली है। इन प्रयासों से निसंदेह मध्यम और निम्न मध्यम तबके को बहुत राहत मिलेगी हालांकि रेंट, मकान रेंट और घर खरीद छूट और ये आय पर छूट को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी राहत दिखती है टेक्स सिस्टम में। लेकिन इसके साथ ही टैक्स सिस्टम में और भी कई बदलाव किए गए हैं। मसलन 7 शहरों में इ–असेस्मेंट और काले धन के मामले में 4 महीने का विंडो सिस्टम और छोटे–छोटे, 13 किस्म के सेस को भी खत्म किया गया है। इन कदमों से टेक्स सिस्टम सरल होगा। खैर, इन तमाम कदमों से आम मध्यमवर्गीय आयकरदाता, को फायदा मिलेगा। सबके आवास का सपना पूरा होगा। क्योंकि इन कदमों से हाउसिंग इंडस्ट्री में मांग एक बार फिर बढ़ेगी जिससे बिल्डर भी सस्ते आवास बनाने की दिशा में अपनी पहल करेगा।

इसी तरह इन्फ्रास्ट्राक्चर को बूस्ट करने के लिए 2.21 लाख कारोड़ रु की बड़ी धनराशि देने के साथ देश में उद्योग जगत को स्वस्थ, पारदर्शी माहौल देने की कोशिश की गई है। ये राशि अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करेगी। ये राशि इन्फ्रास्ट्राक्चर को रफ्तार देगी जिसका फायदा पूरे देश को मिलेगा।

आज हमारी बड़ी आबादी युवाओं की है लेकिन हम तेजी से प्रौढ़ावस्था की तरफ यानी पेंशनभोगी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट में पेंशन प्राप्त समाज बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए गए। पेंशन प्राप्त समाज बनाने के लिए सभी पेंशन योजनाओं में समानता लानी जरूरी थी और इसी को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए गए। हालांकि बाद में विपक्ष और लोगों के विरोध के बाद राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली कुल रकम में से 60 फीसदी पर टैक्स लेने की घोषणा वापस लेनी पड़ी।

ये बजट वर्तमान सरकार की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है जो भेदभावरहित समानता के सिद्धांत और अवसरों की पूर्ति करता है। जिसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत अभियान से जिसके जरिए अमीर–गरीब, अधिकारी–कर्मचारी, नर–नारी सबने हाथों में झाडू लिया और भारत को स्वच्छ बनाने की कसम खायी थी।हाथ में झाडू लेकर सफाई एक किस्म का प्रतीक था प्रगतिशील भारत में सवा अरब आबादी की भागीदारी का। महात्मा गांधी ने भी सूत कातकर या पाखाना साफ कर बरसों पहले ये संदेश दिया और करोड़ों लोगों को आजादी की मुहिम से जोड़ा। आज भी हमें आजादी चाहिए ऊंच–नीच, भेदभाव पूर्ण समाज से। एक ऐसा समाज जहां गांव–शहर, अमीर–गरीब का भेद नहीं होगा।

समानता की दिशा में ये बजट महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजादी के दशकों बाद तक भारत विभिन्नताओं में बंटा हुआ है राजनीति और अन्तरकलहों की वजह से। लेकिन पिछले दो सालों में रचनात्मक ढंग से सरकार के प्रयासों और नीतियों की वजह से समाज आपस में और करीब आ रहा है जो जाति, धर्म और आर्थिक बंदिशों से अब तक बंधा हुआ था। इस बजट का मूलमंत्र ही प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत यानी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'।

(लेखक लोकसभा टी.वी. से जुड़े हैं।)
ई–मेलः jha.air.sidharath@gmail.com

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	–	530	1000	1400

विकास और पर्यावरणीय हितों के उचित तालमेल का बजट

–प्रभांशु ओझा

देखा जाए तो आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह एक बड़ी चुनौती और बहुत हद तक दुविधा भी है कि अच्छी विकास दर और पर्यावरणीय हितों के बीच कैसे संतुलन और तालमेल बनाया जाए। केंद्रीय बजट 2016-17 ने वह संपूर्ण रोडमैप मुहैया कराया है जो वर्तमान में भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने का सबसे सशक्त विकल्प साबित हो सकता है।

जब भारत में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2016 पेश किया तो जानकारों को उम्मीद थी कि सरकार पर्यावरणीय चिंताओं को उचित सन्दर्भ और भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संबोधित करेगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि केंद्रीय बजट 2016 ने वह संपूर्ण रोडमैप मुहैया कराया है जो वर्तमान में भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने का सबसे सशक्त विकल्प साबित हो सकता है। यह रोडमैप क्या है और इससे किस हद तक सरकार के पर्यावरण के प्रति नजरिए और सरोकारों का पता चलता है, इसे समझने के लिये बजट में पर्यावरण से संबंधित सभी मुख्य घोषणाओं पर नजर डालनी होगी–

क्लीन एनवायरमेंट सेस–दूरदर्शी पहल – यह निर्विवाद रूप से सही है कि अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना हर आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी वर्तमान में कोयला समेत अन्य जीवाश्म ईंधनों के दोहन पर ही निर्भर है। कोयले से तो भारत के ऊर्जा उत्पादन का लगभग 53 फीसदी हिस्सा पूरा होता है। जीवाश्म ईंधनों पर इस निर्भरता के चलते ही वित्तमंत्री अरुण जेटली ने उच्च दबाव और गहरे जल क्षेत्रों से गैस उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की है। लेकिन इससे भी बड़ी पहल सरकार ने बजट में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर की है। यही कारण है कि कोयले, लिग्नाइट और पीट जैसे ईंधनों पर लगने वाले क्लीन एनर्जी सेस को क्लीन एनवायरमेंट सेस का नाम देकर 200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस तरह जमा होने वाले अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल सरकार नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कर सकती है। वर्ष 2015–16 में सरकार ने क्लीन एनर्जी

सेस से 12,623 करोड़ रुपये जमा किए थे, वहीं उम्मीद की जा रही है कि नई दरों के लागू होने के बाद सरकार साल 2016–17 में 26,148 करोड़ रुपये जमा कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल सरकार कितने प्रभावी ढंग से कर पाएगी। कालांतर में यह देखा गया है कि इस बजट को सरकारें खर्च नहीं कर पाती हैं।

एलपीजी गैस–सामाजिक उत्थान का कदम – आमतौर पर पर्यावरणीय पहलों को समग्र विकास और गरीब तबकों के सामाजिक उत्थान से जोड़कर नहीं देखा जाता, लेकिन वित्तमंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी गैस मुहैया कराने के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान कर यह बताया कि पर्यावरणीय विकास से मुख्यधारा से दूर तबकों का सामाजिक उत्थान भी संभव है। इस कदम से न सिर्फ परंपरागत चूल्हों से होने वाला वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि इसके महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भी होंगे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल ग्रामीण आबादी की लगभग 85 फीसदी आबादी लकड़ी और किरोसिन जैसे ईंधनों पर निर्भर है। खुद वित्तमंत्री ने बजट भाषण में माना कि रसोईघरों में जलने वाला चूल्हा 400 सिगरेटों के जलने के बराबर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि घरों के भीतर लगने वाली आग से हर साल भारत में 43 लाख लोग मरते हैं। इसके अलावा बहुत से सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि घरों के भीतर जलने वाले चूल्हों से जो वायु प्रदूषण फैलता है, उसका बड़ी संख्या में (लगभग नब्बे प्रतिशत) शिकार महिलाएं होती हैं। फिलहाल सरकार ने तीन सालों के भीतर यह लक्ष्य पूरा करने की योजना बनाई है, लेकिन अनुमान है कि साल 2016–17 में लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को इसका लाभ होगा। कहा जा सकता है कि इस पूरी पहल के व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम होंगे।

आर्गेनिक खेती–परंपरागत कृषि विकास योजना – वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में खेती को भी पर्यावरणीय हितों के ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। लक्ष्य आर्गेनिक खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के विकास का है। सरकार ने इसके लिए 412 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। अगले तीन सालों में इस बजट से लगभग पांच लाख एकड़ जमीन पर आर्गेनिक खेती की योजनाएं विकसित की जाएंगी। इसमें सबसे प्रमुख 'परंपरागत कृषि विकास योजना' है। सरकार ने आर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना साल 2015 में आरम्भ की थी और बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की महत्ता को विशेष तौर पर रेखांकित किया। इस योजना का लाभ लेने के लिए आर्गेनिक खेती की इच्छा रखने वाले पचास किसानों के समूह को कम से कम पचास एकड़ जमीन पर खेती करनी होगी। योजना में नामांकित होने वाले हर किसान को तीन सालों तक सरकार की तरफ से 20,000 रुपये मिलेंगे जिसका इस्तेमाल वे आर्गेनिक बीजों को खरीदने, फसल बोने और फसल को स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए कर सकता है। योजना का असल लक्ष्य अगले तीन सालों में किसानों के ऐसे 10,000 समूह तैयार करना है। यह कहने की आवश्कयता नहीं है कि आर्गेनिक खेती का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम रसायनों, उर्वरकों पर नियंत्रण लगाते हुए एक स्वस्थ कृषि–इकोसिस्टम विकसित करना है। भारत में लगातार क्षीण हो रही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को संरक्षित करने के प्रयास अपरिहार्य हो चले थे। वर्तमान सरकार ने सही समय पर इस दिशा में पहल कर आर्गेनिक खेती से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। भारत बीते वक्त में दुनिया भर में वैसे भी आर्गेनिक खेती की प्रयोगशाला के रूप में उभरा है। इंटरनेश्नल फेडरेशन ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के अनुसार दुनिया भर में आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की कुल संख्या का 80 फीसदी भारत में ही है।

आर्गेनिक खेती और पूर्वोत्तर भारत – पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए वर्तमान सरकार के प्रयास आरम्भ से शराहनीय रहे हैं। इस लिहाज से बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में आर्गेनिक वैल्यू चेन के लिए आवंटित किया गया 115 करोड़ रुपये का बजट निर्णायक साबित होने की क्षमता रखता है। सरकार के इस निर्णय के पीछे भी एक निश्चित नजरिए की झलक देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में आर्गेनिक उद्यमियों के विकास की असीम संभावनाएं छिपी हैं। हाल में सिक्किम को प्रधानमंत्री ने देश का पहला आर्गेनिक राज्य घोषित किया है। वास्तव में, आर्गेनिक वैल्यू चेन कृषि मंत्रालय के तहत टिकाऊ खेती के लिए चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का ही हिस्सा है। इसके तहत फसलों के उत्पादन से लेकर उनके संग्रहण, उनकी मार्केटिंग और उनके ब्रांड निर्माण तक के प्रयास शामिल हैं। जानकारों को उम्मीद है कि चाय उद्योग को भी आर्गेनिक वैल्यू चेन में शामिल किया जाएगा। अगर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की गति को ध्यान में रखकर देखें तो आर्गेनिक वैल्यू चेन के लिए दिया गया बजट आवंटन इन राज्यों की अर्थव्यवस्था के ठहराव को तोड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि छोटे उद्यमी और व्यापारी इन कदमों के बाद राज्य में बड़ी संख्या में सक्रिय होंगे।

यातायात और मोटर व्हीकल एक्ट – केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री ने एक क्रांतिकारी कदम सड़क यातायात के पैसेंजेर व्हीकल सिस्टम में बदलाव कर उठाया है। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि अब यह सिस्टम निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खुला होगा। घोषणा के बाद विभिन्न मार्गों पर बसों के परिचालन का काम अब

निजी उद्यमी भी कर सकेंगे। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट घोषणा के दौरान ही यह स्पष्ट किया कि राज्यों को इस पहल के बाद नया कानूनी ढांचा बनाना होगा, परमिट के नियम भी इस पहल के चलते खत्म होंगे। वर्तमान नियमों के अनुसार बस के परिचालन के लिए एकल जिला और आल इंडिया परमिटों समेत विभिन्न परमिटो की आवश्यकता होती है। जाहिर तौर पर इस पूरी व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव आ जाएंगे। इस कदम के लाभ बताते हुए स्वयं वित्तमंत्री ने संसद में कहा– "इस पहल के बाद सार्वजानिक यातायात ज्यादा सुविधाजनक होगा और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे।" इस बात से सहज ही सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि बस विनिर्माण क्षेत्र में इस कदम के बाद उछाल आने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

ग्रामीण आधारभूत ढांचा – केंद्रीय बजट की सबसे ज्यादा तारीफ इस मोर्चे पर होनी चाहिए कि इसने ग्रामीण इलाकों की बुनियादी संरचना और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कई ऐसे ठोस लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें पूरा करना हर सरकार चाहती तो है, लेकिन उसके लिये राजनीतिक हिम्मत नहीं जुटा पाती। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने और कई समयबद्ध कार्यक्रमों के जरिए गरीबी उन्मूलन के जैसे प्रयास इस बजट में किए गए हैं, वह कालांतर में किसी भी सरकार ने नहीं किए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर स्वीकार किया है कि बिजली और सड़कें गांवों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इसी भावना के अनुरूप वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2018 तक देश के सभी गांवों को बिजली से जोड़ने की घोषणा संसद में की। यह घोषणा ठोस रूप में अमल में लायी जा सके, इसके लिये सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा 2.7 लाख रुपये का बजट ग्राम पंचायत और नगर निगम को दिया जाएगा। यह सारा कार्य पंचायती राज मंत्रालय के तहत होगा। यह मान लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि देश के गांवों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बिजली से जोड़ने की यह पहल अपने आप में क्रांतिकारी है। यह सही मायनों में गांवों के आधुनिकीकरण का प्रयास है। जानकारों ने उचित ही ध्यान दिलाया है कि आजादी के बाद बरसों तक देश में गांवों की अर्थव्यवस्था के कमजोर रह जाने की कुछ बड़ी वजहों में से एक बिजली की कमी रही है। अच्छी बात ये भी है कि सरकार ने यह सारा कार्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पंचायती राज्य मंत्रालय के जिम्मे छोड़ा है।

डिजिटल साक्षरता और गांव – बजट में ग्रामीण आबादी के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष प्रयास डिजिटल साक्षरता की मुहिम आरम्भ कर किया गया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में देश के लगभग 17 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल दृष्टि से साक्षर बनाने की घोषणा कर यह सन्देश दिया कि डिजिटल इण्डिया की संकल्पना में सिर्फ 'इंडिया' ही नहीं, बल्कि 'भारत' भी शामिल है। वित्तमंत्री ने स्वयं कहा कि देश के 12 करोड़ परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं है। केंद्र सरकार ने डिजिटल साक्षरता मुहिम के तहत कौशल भारत योजना को ग्रामीण इलाकों तक तेजी से पहुंचाने की नीति तैयार कर ली है। वैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। देश में पहले से ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाली दो योजनाएं चल रही हैं। इनमें 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन' और 'डिजिटल साक्षरता अभियान' शामिल हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब ग्रामीण भारतीय के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता योजना शुरु करने का फैसला किया है। इसमें अगले तीन वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का पूर्ण ब्यौरा अलग से दिया जाएगा।

निष्कर्ष – सरकार ने अपनी विभिन्न पहलों के जरिए यह संन्देश देने की कोशिश की है कि पर्यावरणीय विकास से समग्र विकास और यहां तक कि गरीबी उन्मूलन और मुख्यधारा से दूर तबकों का सामाजिक उत्थान संभव है। बजट में वायुमंडलीय प्रदूषण और पानी की कमी जैसे मुद्दों के सकल उत्पादन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है। गरीब तबकों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना इस लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। मिट्टी की लगातार गिरती उर्वरता जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति सरकार ने व्यावहारिक नजरिये का परिचय दिया है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रायः आर्थिक परियोजनाओं की राह में बाधा माना जाता है। कोयले पर टैक्स को बढ़ाकर बजट में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर धीरे–धीरे कदम बढ़ाने का संदेश छिपा है। हालांकि कोयले पर भारत की निर्भरता को निकल भविष्य में खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस निर्भरता को धीरे–धीरे कम करने की दिशा में प्रयास आरम्भ होने चाहिए। इससे आवश्यकता को बजट में समझा गया है। कहने का मतलब यही है कि मोदी सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं और मुद्दों को देश के विकास मॉडल का हिस्सा माना है। उसकी तमाम घोषणाओं में यही नजरिया दिखाई पड़ता है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और आर्थिक, पर्यावरणीय विषयों पर राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विषयों पर आयोजित वाद–विवाद प्रतियोगिताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय–स्तर पर 500 से अधिक पुरस्कार जीत चुके हैं।)

भारतीय रेल को आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का विज़न

–नीलेश कुमार तिवारी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारतीय रेलवे को भारत की प्रगति एवं आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का विज़न सराहनीय है। परंतु यह देखना बहुत रोमांचक होगा कि भारतीय रेल कैसे चुनौतियों से निपटते हुए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करती है तथा परिवहन में अपनी खोई हुई हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करती है।

भारतीय रेल बजट 2016–17 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹1.21 लाख करोड़ की योजना के साथ ₹1,84,820 करोड़ रुपये का राजस्व सकल यातायात प्राप्तियों से अनुमानित किया गया है। जबकि वर्ष 2015–16 के रेल बजट में पूंजीगत व्यय एक लाख करोड़ रुपये का निवेश 139 घोषणाओं के साथ किया गया था। साथ ही अनुमानित राजस्व 1,83,578 करोड़ रुपये, सकल यातायात प्राप्तियों की तुलना में संशोधित अनुमान में ₹15,744 करोड़ की शुद्ध कमी हुई।

रेल बजट 2016–17 में तीन प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत ग्राहक सेवाओं में सुधार करना, परिवहन में भारतीय रेल के हिस्से को पुनः प्राप्त करना तथा रेलवे की कार्यप्रणाली में संरचनागत बदलाव करना है। जहां एक तरफ 'विज़न' के अंतर्गत भारतीय रेल का कायाकल्प पर्यावरण को ध्यान में रखकर रेलवे की क्षमता एवं गति बढ़ाकर, कुशलतापूर्वक वित्तीय प्रबंधन के द्वारा यात्रियों को आरामदायक, शानदार तथा यादगार सेवा प्रदान करना है। वहीं दूसरी तरफ डॉ. विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रेल के ट्रांसफारमेशन के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें वर्ष 2020 तक प्राप्त करना है, जो क्रमशः इस प्रकार है –

- गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होना।
- विश्वसनीय सेवा प्रतिबद्धता के साथ मालगाड़ियों को समय सारणी के अनुसार चलाना।
- सुरक्षा रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए उच्चस्तरीय तकनीक।
- बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त करना।
- समय पालन लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंचाना।
- मालगाड़ियों की औसत गति को 50 कि.मी. प्रति घंटे और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति को 80 कि.मी. तक प्रति घंटे तक बढ़ाना।
- स्वर्णिम चतुर्भुज पर सेमी हाईस्पीड गाड़ियां चलाना।
- गाड़ियों से मलमूत्र के सीधे विसर्जन को समाप्त करना।

उपर्युक्त लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से 3 स्तम्भों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है,

- **नवअर्जन –** नए स्रोतो से राजस्व बढ़ाना,
- **नवमानक –** कुशलता के मानदंडों और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार के द्वारा अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना, इसके लिए आगामी वर्ष से 'शून्य आधारित बजट प्रक्रिया' की अवधारणा अपनाना।
- **नव संरचना –** रेलवे की कार प्रक्रियाओं, नियमों एवं ढांचों में बदलाव के द्वारा उत्पादकता बढ़ाना।

रेल बजट 2016–17 के महत्वपूर्ण पहलू

मेक इन इंडिया – लगभग ₹ 40,000 करोड़ के दो रेल ईंजन कारखाने लगाने के लिए बोलियां पूरी की गई हैं। इन कारखानों के द्वारा अनेक लघु एवं अनुषंगी इकाइयों को गति मिलेगी तथा बिहार के साथ–साथ पूर्वी क्षेत्र में रोजगार सृजन में सहायता होगी।

भारतीय रेल एवं डिजिटल इंडिया – इस वर्ष ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लिकेशन शुरू किया गया है, जिसके द्वारा इनवेंट्री प्रबंधन माड्यूल के फलस्वरूप 27,000 मी.टन इन्वेंट्री की कमी से 64 करोड़ रु. की बचत के साथ 53 करोड़ रु. के समकक्ष 22,000 मी. टन स्क्रैप की पहचान की गई। रेलवे के अधीन भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए डाटा डिजिटलीकरण करना।

वाई–फाई सुविधा – युवाओं और कारोबारी यात्रियों के लिए, गूगल के साथ साझेदारी से इस वर्ष 100 स्टेशनों पर वाई–फाई सुविधा प्रारंभ की गई है जिसे अगले दो वर्षों में 400 स्टेशनों पर उपलब्ध कराना है। मोबाईल एप के द्वारा यात्री सुविधाएं जैसे टिकट बुकिंग, शिकायत एवं सुझाव का प्रावधान। रेल डिब्बों के अंदर जीपीएस आधारित आगामी हाल्ट के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करना।

विद्युतीकरण – विद्युतचालित रेलगाड़ियां अधिक पर्यावरण हितैषी एवं किफायती होती हैं अतः इस वर्ष 1600 कि.मी. रेलपथ को चालू करने का तथा आगामी वर्ष में 2000 कि.मी. रेलपथ के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

रेल नेटवर्क का विस्तार – 90 नई परियोजनाएं जिनसे रेलवे की क्षमता का विस्तार करना, जैसे 8432 कि.मी. नई लाईनें, लाईनों का दोहरीकरण इत्यादि में 126172 करोड़ रु. के निवेश की योजना है। वर्ष 2016–17 में 2800 कि.मी. रेल चालू करने के लिए प्रतिदिन 7 कि.मी. की गति से कार्य करना है। वहीं वर्ष 2017–18 में 13 कि.मी. प्रतिदिन तथा 2018–19 में 19 कि.मी. प्रतिदिन रेलपथ चालू करने का लक्ष्य है। इसके फलस्वरूप 2017–18 में लगभग 9 करोड़ श्रमदिवस के रोजगार का सृजन अनुमानित किया गया है।

समर्पित माल गलियारा – तीन नए गलियारों उत्तर–दक्षिण (दिल्ली से चेन्नई), पूर्व–पश्चिम (खड़गपुर से मुम्बई) तथा पूर्व तट (खड़गपुर से विजयवाड़ा) को सार्वजनिक–निजी भागीदारी सहित नवीन वित्तपोषण के द्वारा शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 31 मार्च, 2016 तक सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्य के लिए सभी ठेके देने हैं।

बंदरगाह जोड़ परियोजना – टूना बंदरगाह प्रारंभ किया गया है तथा जयगढ़, दीघी, रेवास और पारादीप बंदरगाह के लिए कार्य जारी है। साथ ही वर्ष 2016–17 में नारगोल एवं हजिरा बंदरगाह को रेलमार्ग से जोड़ने का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा करना है। पूर्वोत्तर एवं जम्मू–कश्मीर में भी रेलमार्ग का कार्य जारी है।

भारतीय रेल की परियोजनाओं एवं क्षमता विस्तार के संसाधन

वित्तीय स्रोत

- वर्ष 2016–17 में लगभग 1,84,820 करोड़ रुपये सकल यातायात प्राप्तियों से अनुमानित हैं,
- अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये जीवन बीमा निगम से;
- वर्ष 2016–17 में केंद्र सरकार से बजट समर्थन के रूप में 40,000 करोड़ रुपये;
- वर्ष 2020 तक किराए से इतर अनुमानित वार्षिक राजस्व लगभग 4,000 करोड़ रुपये;
- 117 करोड़ रुपये की बचत इन्वेंट्री मैनेजमेंट एवं स्क्रैप की पहचान से।

नवअर्जन कार्यनीति के अंतर्गत नवीन आय स्रोत

- सार्वजनिक–निजी भागीदारी के द्वारा निवेश में वृद्धि।
- रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कोष की स्थापना।
- रेलव स्टेशनों को पुनः विकसित करके तथा खाली पड़ी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करके।
- ई–कामर्स के द्वारा सोफ्ट ऐसेट (Soft assets) जैसे डाटा, साफ्टवेयर एवं कुछ मुफ्त सेवाएं – पी.एन.आर. जाँच से राजस्व प्राप्त करना।
- राज्य सरकारों के साथ साझेदारी से पर्यटन को बढ़ावा देकर राजस्व की प्राप्ति।
- विज्ञापन से प्राप्त राजस्व को 4 गुना बढ़ाना।
- पार्सल नीतियों में उदारीकरण से कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के द्वारा व्यवसाय से राजस्व की प्राप्ति।

रेल बजट 2016–17 में मुख्य यात्री सुविधाएं – किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया जबकि सातवें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव के कारण वर्ष 2016–17 में परिचालन अनुपात 92 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो वर्ष 2015–16 में 90 प्रतिशत अनुमानित है। 92 प्रतिशत परिचालन अनुपात का मतलब है कि 92 पैसे खर्च करने होंगे एक रुपये राजस्व के लिए। साथ ही 65,000 अतिरिक्त सीटों एवं जैविक शौचालयों की सुविधा तथा आरामदायक यात्रा के लिए स्मार्ट डिब्बों का निर्माण करते हुए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय बीमा की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करना है।

रेल बजट 2016–17 में पूंजीगत व्यय का अर्थशास्त्र – वर्ष 2015–16 के रेल बजट में एक लाख करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2016–17 में ₹ 1.21 लाख करोड़ के पूँजीगत व्यय पर जोर, पर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अनेक पहलुओं के अंतर्गत है। जिनमें सबसे पहला है रेलवे में निवेश का समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव। जी हां भारतीय रेल में एक रुपये के निवेश से समग्र अर्थव्यवस्था को 5 रु. की वृद्धि का लाभ अनुमानित किया गया है। वर्ष 2009–14 के बीच औसत पूंजीगत व्यय मात्र ₹48,100 करोड़ रहा, जबकि इसी अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भूचाल आया तथा आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अतः कम निवेश के कारण रेलवे की क्षमता वृद्धि में कमी तथा भीड़–भाड़ के फलस्वरूप आर्थिक विकास में रेलवे का योगदान निम्न रहा। इसीलिए पूंजीगत व्यय को लगभग दुगुना करके समग्र अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का प्रयास किया गया है। (आर्थिक सर्वेक्षण, 2016)

रेल बजट 2016–17 एवं ग्रामीण विकास

राष्ट्र की जीवनरेखा कही जाने वाली भारतीय रेल अपने 19,000 रेलगाड़ियों से 2.3 करोड़ यात्रियों तथा 30 लाख टन का माल रोजाना परिवहन करती है तथा 13 लाख से ज्यादा लोगों (ग्रामीण एवं शहरी) को रोजगार भी प्रदान करती है। रेलवे ही एकमात्र किफायती यातायात का माध्यम है जो ग्रामीण एवं शहरी भारत को जोड़ते हुए सबका विकास करती है।

ग्रामीण भारत के लोगों की आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ भागीदारी तथा आई.आर.सी.टी.सी. वेबसाइट की सहायता से स्वयंसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की ई–मार्केटिंग करने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर के अंतर्गत रेलवे द्वारा खादी ग्रामोद्योग निगम के साथ भागीदारी से लगभग 17 लाख श्रमदिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा 'रेलवे' पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों के उद्यमियों से उत्पादों के स्रोत को प्रोत्साहित कर उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगी। साथ ही चाय पीने में कुल्हड़ के उपयोग को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों में गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को कौशल विकसित करके आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगी।

वहीं दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय वढ़ाकर रेलवे के पिछले सभी बैकलॉग को समाप्त कर मौजूदा एवं भावी जरूरतों को पूरा करना है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने का तीसरा कारण है कि रेलवे में निवेश को बढ़ाकर भारतीय उद्योगों के परिवहन खर्च को कम करना तथा बेहतर सेवाएं देते हुए राजस्व प्राप्ति के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान देना।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय के अनुमान इस बात की पुष्टि करते हैं कि उद्योग जगत मालभाड़े की लागत को लेकर काफी संवेदनशील है। यात्री भाड़े की तुलना में, इसीलिए रेलवे में निवेश से उद्योगों के परिवहन खर्च में कमी के साथ–साथ समय की भी बचत होगी।

संदर्भ

भारतीय रेल बजट 2016–17, आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16

(लेखक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ से अर्थशास्त्र के पीएचडी स्कॉलर हैं। और दिशा लॉ कॉलेज (रायपुर) में अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं। 'देशबंधु' अखबार में नियमित रूप से आर्थिक मामलों पर लिखते हैं।)

ई–मेलः nileshtiwariprsu@gmail.com

महिला उद्यमियों की राह आसान बनाने की कोशिश

—पूजा मेहरोत्रा

29 फरवरी, 2016 को बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा करने की कई योजनाएं पेश की हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्टैंडअप इंडिया योजना। 2.5 लाख अनुसूचित जाति / जनजाति और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए शुरुआती चरण में 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति बैंक शाखा में कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं के लिए मदद की जाएगी।

बजट 2016–17 में जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं अगर उन योजनाओं को संजीदगी से लागू किया जाए तो सचमुच देश की तस्वीर बदल सकती है। 29 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा करने की कई योजनाएं पेश की हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्टैंडअप इंडिया योजना। 2.5 लाख अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए शुरुआती चरण में 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति बैंक शाखा में कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं के लिए मदद की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण और कौशल विकास के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद योजना को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाएगा। बैंकों को एक दिन में ऋण मुहैया कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन एक दिन में ऋण मिल जाना एक सपने से कम नहीं है? अगर सचमुच बैंक ऋण के आवेदनकर्ताओं को एक दिन में किसी भी रूप में ऋण देते हैं तो यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। देश की तस्वीर बदल सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अहम योजना का खाका तो पहले ही तैयार कर लिया गया था जिसमें महिलाओं और छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात देने की बात कही गई थी। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत भी की थी। इस बैंक का मकसद छोटे कारोबारियों और महिलाओं को ऋण सुविधा देना है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर होगी। लेकिन शुरुआती दौर में ये 'की' (Key) यूनिट के तौर पर काम करेगा। इस बैंक के जरिए 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के ऋण मिलेंगे–शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन दिए जाएंगे, किशोर के तहत 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे और तरुण के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाने की बात कही गई है।

अनुमान लगाया गया है कि मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को भी ऋण दिया जाएगा। साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वाले जैसे लोगों को भी ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एक लाख करोड़ रुपये ऋण दिए गए। इसमें 2.07 लाख महिला उद्यमियों को लाभ मिला। इस योजना के बारे

में प्रधानमंत्री ने पहली बार लालकिले की प्राचीर से ही जानकारी दे दी थी और प्रस्ताव पिछले बजट में ही वित्तमंत्री ने पेश कर दिया था। मुद्रा बैंक बनाने के प्रस्ताव में जिसमें 20 हजार करोड़ रुपये की राशि और 3 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी राशि रखने की बात कही गई थी। मुद्रा बैंक माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए नीति निर्धारण का काम करेगा और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर निगरानी भी रखेगा।

अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्टैंडअप इंडिया योजना' की मंजूरी पिछले वर्ष ही दे दी थी। महिला उद्यमियों के विकास के लिए निजी और सरकारी बैंक पहले से ही कई योजनाएं चला रहे हैं। चूंकि इन योजनाओं में बैंक को कोई फायदा नजर नहीं आता है इसलिए वे ऐसी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने से बचते रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य भी महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ही था लेकिन स्टैंडअप योजना में हर बैंक को सीधे तौर पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और प्रधानमंत्री सीधे उस योजना से जुड़े हैं इसलिए इस योजना की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। इस योजना के तहत औसतन हर बैंक की शाखा को कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाना और लोगों तक पहुंचाना है। योजना की शुरुआत के बाद 36 महीनों में कम से कम ढाई लाख मंजूरियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्टैंडअप इंडिया योजना में प्रावधान – 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के जरिए पुनर्वित्त खिड़की, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के जरिए एक ऋण गारंटी तंत्र का सृजन, उधार लेने वालों को ऋण–पूर्व चरण एवं संचालनों दोनों प्रक्रियाओं के दौरान सहयोग देना। इसमें लेखा क्रय सेवाओं के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफार्म एवं ई–मार्केट स्थानों के साथ पंजीकरण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों एवं समस्या समाधान पर सत्रों का आयोजन कर बताए जाने की भी योजना है।

योजना का विवरण – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए समर्थन मुहैया कराने पर फोकस है। स्टैंडअप योजना का मकसद सुविधाविहीन क्षेत्रों तक बैंक ऋण की सुविधाएं प्रदान करना और संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। महिलाओं को 10 लाख रुपये से एक करोड़ तक बैंक ऋण दिए जाने की योजना है।

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2016–17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट में योजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा बुनियादी ढांचा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के विश्लेषण को गहराई से पढ़ने के बाद पता चलता है कि महिलाओं के लिए आवंटित राशि महिलाओं के विकास के लिए नाकाफी है। हां, ये सच है कि 2015–16 की तुलना में विभिन्न मंत्रालयों में महिलाओं की योजनाओं के लिए एक साथ निर्देशित धन में 6023.6 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 2015–16 में ₹11,388.41 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जबकि इस वर्ष यह राशि ₹17,412.01 करोड़ हो गई है। इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत के विकास की कहानी में सरकार महिलाओं के लिए छोटे–छोटे कदम उठा रही है। सरकार ने प्रस्तावित महिला विशिष्ट योजनाओं पर विभिन्न मंत्रालयों को 2016–17 की आवंटित राशि में 55 फीसदी की वृद्धि करने की योजना तो रखी है लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवंटन करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास बमुश्किल ही आय है। बताते चलें कि पिछले वर्ष भी सरकार ने महिलाओं की विशिष्ट योजनाओं के लिए 16,657.11 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी लेकिन बाद में उसमें 5,000 करोड़ रुपये संशोधित कर मात्र 11,388.41 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए थे।

भारत में लैंगिक समानता के अनेक कानूनों के बावजूद हमारा पुरुष प्रधान समाज आज भी महिलाओं की प्रतिभा एवं क्षमताओं को कमतर आंकता है। यही कारण है कि समान कार्य के लिए महिलाओं को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार सृजन और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय रोजगार मिशन जैसी योजनाओं के लिए आवंटित राशि दुगुनी की गई है। वहीं निर्भया योजना, महिला की हेल्पलाइन और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के लिए 470 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। महिला पुलिस अधिकारियों के लिए, महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015–16 में यह राशि 12 लाख थी जिसे बढ़ाकर 16 करोड़ कर दिया गया है।

महिलाओं के लिए योजनाओं पर कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में किए गए आवंटन सराहनीय हैं। उसमें सुधार देखा जा रहा है वहीं कुछ जरुरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा कटौती देखने को मिली है। घरेलू हिंसा पीड़ितों की रक्षा के लिए इस बार किसी भी तरह का आवंटन नहीं दिखा है। वैसे जब बजट की गणना करते हैं तो बजट का पार्ट ए और बी दोनों

की ही गणना की जाती है। 2016–17 का बजट देखने के बाद यह पता चलता है कि महिलाओं के लिए इस वर्ष ₹ 80,634.76 करोड़ आवंटन की बात कही गई है 2015–16 में यह राशि ₹ 81249.12 करोड़ थी।

'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के सपने को केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट में साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। चालू वित्तवर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक नए उपाय शामिल करने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि **सरकार ने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे वर्ष 2016–17 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यह योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी, ताकि इसके तहत पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके।** इस योजना से पूरे देश में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस कदम से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। इससे खाना बनाने की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। वित्तमंत्री ने 75 लाख मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की सराहना की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दी है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंकों के साथ मिलकर भी कई योजनाएं चला रही है जिसमें महिलाओं के जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने से लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने, एटीएम कार्ड, शॉपिंग, खाने–पीने से लेकर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आदि तक की सुविधाएं मुहैया करा ही रही है। साथ ही, बच्चों के लिए अकाउंट खोलने की सुविधा दे रही है।

सरकार की मुद्रा योजना – सरकार ने मुद्रा योजना खासकर असंगठित क्षेत्र सेक्टर की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई है जिसे हर बैंक को लागू करना आवश्यक है। इसके तहत घर से उद्योग चलाने वालों को बैंक ₹ 50,000 से दस लाख रुपये तक का ऋण देता है। इस योजना के तहत ऋणधारक को किसी तरह की डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है। गारंटर की जरूरत भी नहीं होती है। बैंक इस उद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत बारीकी से देखता है जिसमें पैनी नजर उन बातों पर होती है कि ऋण लेने वाला अपना सारा खर्च निकालने के बाद ब्याज की राशि किस तरह से अदा कर पाएगा।

इस तरह के ऋण में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ऐसे में जब महिलाओं के लिए यह अहम हो जाता है कि जब भी वे अपना कोई काम शुरू करने के लिए कोई योजना बनाएं और उन्हे ऋण की आवश्यकता हो तब वे सबसे अधिक मेहनत अपने प्रोजेक्ट पर करें जिससे कि बैंक ऋण लेने से पहले सवाल न करे। जब ऋण लेने जाएं तो कौन से पेपर आपके पास हो–

- आप ऋण लेने जा रहे हैं तो उसका पूरा प्रोजेक्ट प्रॉफिट रिपोर्ट के साथ बनाएं।
- जहां उद्योग लगाना है वहां आपका अपना मकान या ऑफिस या किराए का मकान है, उसकी एग्रीमेंट की कॉपी
- आपकी शैक्षिक योग्यता की डिग्री, जिस उद्योग को आप लगाने जा रहे हैं उसकी डिग्री
- आवेदन पत्र
- बचत खाता है या करंट अकाउंट है तो उसका तीन से छह महीने का अकाउंट बैलेंस
- अपने उपभोक्ता को जाने (नो यूअर कस्टमर)
- फोटोग्राफ; एड्रेस प्रूफ; पहचान–पत्र

सरकार की योजना के तहत सीजीटीएमसी (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज) योजना है जिसमें बैंक एक करोड़ रुपये तक ऋण देता है वह भी बिना गारंटर के।

महिलाओं की योजनाओं पर आरबीआई के दिशानिर्देश – पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आरबीआई ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके अंतर्गत सभी बैंकों को महिला सशक्तीकरण के लिए कुल ऋण लक्ष्य 'टोटल लोन टार्गेट' का पांच प्रतिशत सिर्फ महिलाओं को देकर पूरा करना है। आरबीआई ने यह गाइड लाइन 2001 में ही लागू की थी लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि आज तक बैंक लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ दिखाई देते हैं।

बैंकों के लिए गठित संसदीय समिति ने महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर विशेष रियायत देने की सिफारिश भी की है लेकिन उस गाइडलाइन का कितना पालन हो पा रहा है!

अधिक से अधिक महिलाएं बैंक तक आएं इसलिए अब निजी बैंक और सरकारी बैंक महिलाओं के लिए विशेष ब्रांच तो खोल ही रहे हैं। लेकिन अभी भी बैंक और योजनाएं महिलाओं की पहुंच में आ पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

(लेखिका पत्रकार हैं। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में सक्रिय रही हैं।)
ई–मेलः poojamehrotra27@gmail.com

आगामी अंक

मई, 2016 – नवीकरणीय ऊर्जा

केंद्रीय बजट 2016–17 और ग्रामीण विकास

- कृषि तथा किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। (एआईबीपी) के तहत 89 परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक पर लाया जाएगा। इन परियोजनाओं में से 23 को 31 मार्च, 2017 से पहले पूरा करने का वायदा।
- लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधि सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
- 6 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भूजल संसाधनों के ठोस प्रबंधन के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम का प्रस्ताव।
- मार्च 2017 तक 14 करोड़ कृषि जोतों की कवरेज के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित। यह किसानों को उर्वरक का उचित उपयोग करने में सहायक होगा।
- उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल खुदरा विक्रय केंद्रों को अगले तीन वर्षों में मृदा एवं बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- जैविक खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के विकास के लिए 412 करोड़ रुपये का बजट, अगले तीन सालों में इस बजट से लगभग पांच लाख एकड़ जमीन पर जैविक खेती की योजनाएँ विकसित की जाएंगी।
- जैविक खेती के तहत 5 लाख एकड़ वर्षा जल क्षेत्रों को लाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की घोषणा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र से जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना प्रारम्भ।
- किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए ब्याज सहायता हेतु 2016–17 में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जोकि 2015–16 में 13,000 करोड़ था।
- कृषि ऋण प्रवाह को बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये किया गया जो 2015–16 में 8.50 लाख करोड़ था।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत आवंटन 5500 करोड़ रुपये किया गया जोकि पिछले बजट में 3185 करोड़ रुपये था।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए बजट में 5400 करोड़ रुपये का प्रावधान जोकि 2015–16 में 3900 करोड़ रुपये था।
- राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम हेतु पहली बार बजट में 75 करोड़ केन्द्रांश का प्रावधान। इसमें मेड़ पर पेड़ अभियान को गति मिलेगी।
- पशुपालन, डेयरी एव मत्स्य पालन के लिए वर्ष 2016–17 में 1600 करोड़ रुपये आवंटित जोकि वर्ष 2015–16 में 1491 करोड़ रुपये थे।
- अलग से चार नई परियोजनाओं पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य–पत्र, ई–पशुधन हाट और राष्ट्रीय देशी नस्ल जैनोमिक केंद्र के लिए 850 करोड़ रुपये।
- डेयर/भाकृअप को 6309.89 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे जोकि 2015–16 में 5387.95 करोड़ रुपये थे।
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत आवंटन समेत सड़कों के लिए कुल 97000 करोड़ रु. का निवेश। वर्ष 2019 तक शेष 65,000 पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदाग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक में दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम किए जाएंगे। इस योजना में सरकार द्वारा सघन रूप से स्वयंसहायता समूह का गठन किया जाएगा जिन्हें विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कृषि विज्ञान केंद्रों की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की कुल पुरस्कार राशि के साथ 643 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच एक राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
- मनरेगा के तहत कलस्टर सुविधा टीमों का गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेंगी।
- मनरेगा के तहत जैविक खाद्य के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढ़ों का निर्माण।
- गांवों मे आधारभूत संरचना के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी (रूरबन) मिशन की शुरुआत। इसके तहत 300 ग्रामीण–शहरी कलस्टरों का विकास जिसमें किसानों के लिए आधारभूत संरचना जैसे कृषि प्रसंस्करण, कृषि बाजार को सुलभ कराना, गोदाम और वेयर हाउसों को बनाना शामिल है।
- मिशन के तहत गांवों में स्वच्छता अभियान, पाईप जलापूर्ति, ठोस और तरल जल प्रबंधन, गली–नालियों को पक्का करना, शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, एलपीजी गैस कनेक्शन एवं मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाया जाएगा।

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2015–17
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2015–17
1 अप्रैल 2016 को प्रकाशित एवं 5–6 अप्रैल 2016 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020, संपादक : ललिता खुराना